केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक – 410)

सामूहिक विवाह अनुदान योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vi
प्रथम	अध्ययन परिचय	1 – 6
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	7 – 26
तृतीय	अध्ययन निष्कर्ष	27 – 56
	परिशिष्ट – I, II व III	57 – 60
	मूल्यांकन कार्य में सहभागियों की सूची	61

***

उद्‌बोधन

माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा "सामूहिक विवाह अनुदान योजना" का मूल्यांकन अध्ययन न्यादर्श चयन प्रणाली के परिपेक्ष्य में कोटा जोधपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में सम्पादित किया गया है।

योजनान्तर्गत कार्यकारी विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त "सामूहिक विवाह अनुदान योजना" से लाभान्वित वर–वधुओं, अभिभावकों एवं सरकारी व गैर सरकारी वर्ग से साक्षात्कार उपरान्त प्राप्त मन्तव्य, विचार एवं प्रतिक्रियाओं का यथेष्ठ विश्लेषणात्मक विवरण प्रतिवेदन में निरूपित किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष अनुसार समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए सामूहिक विवाह आयोजन उपयोगी एवं सहायक रहा है। योजनान्तर्गत सम्पादित करवाये गये सामूहिक विवाहों की समीक्षात्मक अभिव्यक्ति प्रतिवेदन में यथास्थान दी जाकर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन संदर्भ में उपयोगी सुझाव दिये गये हैं।

आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव कार्यकारी विभाग व सहभागी संस्थाओं के लिए योजना के विस्तार व सफल संचालन में सार्थक सिद्ध होंगे।

तिथि : अप्रेल,2007
स्थान : जयपुर

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विवाह अनुष्ठानों को सुगम बनाने हेतु राज्य की गैर एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा "सामूहिक विवाह आयोजनों" को आर्थिक सम्बल प्रदान कर एक ही पाण्डाल के नीचे रीतिरिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाये जाते हैं। राज्य के 23 जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा कुल 1069 जोड़ों का "सामूहिक विवाह" शासकीय अनुदान पर सम्पन्न करवाये हैं। उक्त वर्णित "सामूहिक विवाहों" के आयोजनार्थ कुल प्रावधित राशि रूपये 98.00 लाख के विरूद्ध रूपये 35.01(35.72 %) लाख का वितरण कार्यकारी विभाग द्वारा किया गया, जो योजना की धीमी प्रगति को दर्शाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष से परिलक्षित होता है कि सामूहिक विवाह आयोजन गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी रहा है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि विवाह आयोजन की विविध गतिविधियों को देखते हुए कम अभिलिखित की गयी है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजना की प्रभावी एवं सार्थक क्रियान्विति हेतु प्रासंगिक सुझाव दिए गये हैं, अपेक्षा है कि प्रस्तावित अनुशंषाऐं कार्यकारी विभाग के लिए सार्थक सिद्ध होगी।

तिथि : अप्रेल,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप
(Executive Summary)

I. पृष्ठभूमि :

विवाह एक धार्मिक संस्कार व सामाजिक उत्तरदायित्व है। विवाह अनुष्ठान द्वारा कन्या का पिता कन्यादान से सुयोग्यवर को अपनी पुत्री सुपुर्द कर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। वर्तमान में विवाह सर्वाधिक खर्चीला संस्कार है। धनाढ्य वर्ग द्वारा समाज में अपनी वैभव–प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विवाह समारोहों पर काफी धन व्यय किया जाता है जबकि कमजोर आय वर्ग के लोग इनका अनुकरण नहीं करने से अपने आपको असहाय महसूस करते है। अतः विवाह समारोहों पर फिजूलखर्ची की बढ़ती प्रवृत्ति पर स्वैच्छिक संस्थाओं ने चिन्तन कर फिजूलखर्चों पर नियन्त्रण एवं कमजोर आय वर्ग को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों की शुरूआत की गयी। स्वैच्छिक संस्थाओं के इन प्रयासों को राज्य सरकार ने भी प्रोत्साहित करते हुए सामूहिक विवाह अनुदान नियमों का निर्माण कर इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया।

II. सामूहिक विवाह अनुदान योजना :

सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित, कमजोर आय वर्ग के दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता, विवाह समारोहों पर अनावश्यक व्ययों को नियन्त्रित तथा बाल विवाहों की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1996 में सामूहिक विवाह अनुदान नियमों का संचारण कर सामूहिक विवाह संस्था/संगठन या आयोजनकर्ता को एक बार में कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर प्रति जोड़ा 1000/– रूपये की अनुदान राशि आयोजन पेटे (अधिकतम 50,000/– रूपये) देय थी। वर्तमान संशोधित नियमों के अनुसार केवल पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कम से कम 10 एवं अधिकतम 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर 5,000/– रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि में से 75 प्रतिशत(3750/–) की राशि विवाहित स्त्री को स्त्रीधन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए डाकघर या अधिसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विवाह से पूर्व पंजीकृत संस्था द्वारा जमा करवाना आवश्यक है एवं शेष 25 प्रतिशत(1250/– रूपये) राशि सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को आयोजन पेटे बतौर अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

III. मूल्यांकन की आवश्यकता :

माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों की अनुपालना में इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

IV. मूल्यांकन अध्ययन के उद्देश्य :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।
(ii) योजना की उपयोगिता का विश्लेषण करना।
(iii) उपलब्ध करवाई जा रही अनुदान राशि की पर्याप्तता का आंकलन करना।

(iv) बाल विवाहों की रोकथाम की स्थिति को ज्ञात करना।

(v) विवाहित दम्पत्तियों/जोड़ों की सामाजिक स्थिति को ज्ञात करना।

(vi) योजना के क्रियान्वयन की कठिनाईयों एवं निराकरण व प्रभावी संचालन हेतु सुझावों को संकलित करना।

V. न्यादर्श परिकल्पना :

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श चयन परिपेक्ष्य में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं कोटा जिलों को चयनित किया गया।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिलों में 25 प्रतिशत ऐसी पंजीकृत संस्थाओं का चयन किया गया, जिनके द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक जिले में सबसे अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया है।

तृतीय स्तर पर साधारण न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए प्रत्येक जिले से अधिकतम 20 जोड़ों का चयन किया गया।

VI. सन्दर्भ अवधि :

.प्रलेखीय सूचनाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक एवं लाभार्थी (जोड़ा/दम्पत्ति) व कार्यकारी तथा क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ताओं के विचार सर्वे दिनांक के माह से सम्बन्धित है।

VII. राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

कार्यकारी विभाग द्वारा राज्य के 32 जिलों में से 23 जिलों की उपलब्ध करवाई गई प्रारम्भिक सूचनाओं को ही प्रगति की सूचना मानते हुए प्रगति समीक्षा की गई। विभाग द्वारा भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। सन्दर्भित वर्षों में राज्य के 23 जिलों में योजनान्तर्गत कुल 1069 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाकर 98.00 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 35.01(35.72 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो योजना की धीमी प्रगति को दर्शाती है। राज्य स्तर पर कार्यकारी विभाग के पास योजना की प्रगति की समेकित सूचना संधारित नहीं है। अतः सूचना तंत्र को प्रभावी तथा परिष्कृत कर योजना की आधोतन प्रगति का मानचित्र तैयार करवाने हेतु अनुशंषा की गयी है।

VIII. चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति एवं भौतिक प्रगति :

अध्ययन हेतु चयनित कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों को संदर्भित वर्षों में कुल 45.11 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई जिसके विपरीत 22.55(49.99 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का ही उपयोग किया गया है। किसी भी चयनित जिले में लगातार सन्दर्भित वर्षों में उपलब्ध प्रावधान/शेष बचत राशि की 50.00 प्रतिशत से भी कम राशि ही व्यय की गई है। चयनित जिलों की भौतिक प्रगति को देखने से ज्ञात होता है कि लक्ष्यों के निर्धारण के अभाव में सन्दर्भित वर्षों में योजनान्तर्गत कुल 931 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाकर लाभान्वित किया गया है।

IX. प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति :

सन्दर्भित अवधि में चयनित जिलों में 40 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वित विभाग को सामूहिक विवाह हेतु 993 विवाह योग्य जोड़ों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके विपरीत 931(93.76 प्रतिशत) जोड़ों का सामूहिक सम्पन्न करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। शेष 62(6.24 प्रतिशत) जोड़ों को नियमों की शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

X. चयनित संस्थाओं की स्थिति :

अध्ययन हेतु चयनित की गई 11 स्वैच्छिक संस्थाऐं रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पाई गई। इनका पंजीयन वर्ष 1984–85 से 2005–06 तक की अवधि में किया गया।

XI. जातिगत समाज की स्थिति :

चयनित संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित वर्षों में कुमावत/कुम्हार, कुरैशी(कसाई), स्वर्णकार, स्वच्छकार, सिन्धी, रावणा राजपूत, तेली(साहू), जाति समाज के वर्गों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया है।

XII. अध्ययन के परिणाम :

(i) **जाति वर्ग –** चयनित जिलों में चयनित कुल 80 दम्पत्ति/जोड़ों(160 वर–वधू) में से 3.75 प्रतिशत वर–वधू अनुसूचित जाति एवं 7.50 प्रतिशत वर–वधू सामान्य जाति तथा 88.75 प्रतिशत वर–वधू अन्य पिछड़ा वर्ग से है। अनुसूचित जनजाति का कोई जोड़ा नहीं है। सामूहिक विवाहों में किसी भी जोड़े ने अन्तर्जातिय विवाह नहीं किया है। चयनित संस्थाओं द्वारा केवल जातिगत समाज के जोड़ों का ही सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया जाता है।

(ii) **आयु –** सामूहिक विवाह के दौरान 83.75 प्रतिशत वर की आयु 21 से 25 वर्ष एवं 16.25 प्रतिशत वर की आयु 26 एवं इससे अधिक की थी। 60.00 प्रतिशत वधुओं का विवाह से 18 से 20 वर्ष की आयु के, एवं 35.00 प्रतिशत का विवाह 21 से 25 वर्ष तथा 5.00 प्रतिशत का विवाह 26 एवं इससे अधिक की आयु में सम्पन्न हुआ है। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लड़के–लड़कियों की आयु सीमा में ही विवाह सम्पन्न हुआ है।

(iii) **शैक्षणिक स्तर –** चयनित उत्तरदाता जोड़ों में अपवाद स्वरूप कुछ उत्तरदाता जोड़ों को छोड़कर 98.7 प्रतिशत जोड़े शिक्षित है। इनमें 56.88 प्रतिशत दम्पत्ति उत्तरदाता प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर तक एवं 30.62 प्रतिशत सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्तर तक, 6.25 प्रतिशत स्नातक/स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यताधारी तथा 5.00 प्रतिशत साक्षर है जबकि 1.25 प्रतिशत उत्तरदाता वधू निरक्षर है।

(iv) **उत्तरदाता वर–वधू का व्यवसाय –** चयनित 80 वर उत्तरदाताओं में से 72.50 प्रतिशत वर मजदूरी, 15 प्रतिशत होटल, चाय का ठेला, सिलाई/टेलरिंग, तेल का व्यवसाय करते हैं एवं 5.00 प्रतिशत वर प्राईवेट सर्विस, 2.50 प्रतिशत वर कोरियर सेवा तथा 2.50 प्रतिशत वर की कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है एवं वे अध्ययनरत है। अतः अधिकांश वर उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय मजदूरी है जबकि 75.00 प्रतिशत वधुऐं गृहणी हैं एवं 1.25 प्रतिशत वधू कृषि कार्य में तथा 23.75 प्रतिशत वधुऐं मजदूरी व्यवसाय में रही हैं।

(v) **उत्तरदाता दम्पत्ति परिवारों की वार्षिक आय –** चयनित जिलों में उत्तरदाता जोड़ों/दम्पत्तियों के परिवारों में वर पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय 61,450 रूपये है जबकि वधू पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय 57,212 रूपये है जो वर पक्ष के परिवारों की तुलना में 6.90 प्रतिशत कम है। अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वर–वधू पक्ष के परिवारों की आय लगभग समान स्तर पर होने के कारण दोनों ही पक्षों ने लगभग अपनी बराबरी के आय समूह के परिवारों से ही रिश्तेदारी कायम कर अपने पुत्र–पुत्रियों का विवाह सामूहिक विवाह मण्डप में सम्पन्न करवाया है एवं इन विवाहों में गरीब, अत्यन्त गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों की ही भागीदारी रही है तथा धनाढ्य वर्ग सामूहिक विवाहों से अभी दूरी बनाये हुए हैं।

(vi) **सामूहिक विवाह की जानकारी के स्त्रोत –** चयनित उत्तरदाताओं एवं उनके परिवारों को सामूहिक विवाह योजना के माध्यमों, 73.75 प्रतिशत स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं जातिगत समाज से, 15.00 प्रतिशत को पोस्टर्स, पम्पलेट्स, हैण्डबिल्स आदि, 8.75 प्रतिशत को स्थानीय समाचार पत्रों तथा 2.50 प्रतिशत को व्यक्तिगत रूप से जातिगत समाज एवं संस्थाओं से सम्पर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई।

(vii) **सामूहिक विवाह के अवसर पर वर–वधू पक्ष द्वारा व्यय राशि –** सामूहिक विवाह से लाभान्वित शत–प्रतिशत परिवार पंजीयन शुल्क राशि 5000 रूपये से 25000 रूपये तक चयनित संस्थाओं को जमा करवाई। पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त सामूहिक विवाह हेतु 18.75 प्रतिशत ने 10,000 रूपये तक, 26.25 प्रतिशत ने 10,0001 से 15,000 रूपये तक, 23.75 प्रतिशत ने 15,001 से 20,000 रूपये तक, 12.50 प्रतिशत ने 20,0001 से 25,000 रूपये तक, 3.75 प्रतिशत ने 25,0001 से 30,001 रूपये तक 3.75 प्रतिशत परिवारों ने 30,001 से 35,000 रूपये तक तथा 1.25 प्रतिशत परिवार ने 35,0001 से 60,000 रूपये तक की राशि व्यय करना बताया है।

(viii) **जन–सहभागिता** – राज्य सरकार के अतिरिक्त दानदाताओं, समाज सेवियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की सामूहिक विवाहों में भागीदारी रही है। चयनित उत्तरदाताओं में से 36.25 प्रतिशत ने दानदाताओं/समाज सेवियों से सामूहिक विवाह के दौरान आर्थिक सहायता/सामग्री प्राप्त की है एवं 63.75 प्रतिशत ने राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य किसी से भी कोई राशि/सामग्री प्राप्त नहीं करना बताया है।

(ix) **अनुदान राशि की जानकारी** – चयनित उत्तरदाताओं में 91.25 प्रतिशत को सामूहिक विवाह के लिए देय अनुदान योजना/राशि की जानकारी हैं एवं शेष 8.75 प्रतिशत को जानकारी नहीं होना पाया गया है।

(x) **अनुदान राशि की प्रर्याप्तता एवं प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि –** क्षेत्र कार्य के दौरान चयनित 80 उत्तरदाता वर–वधू/जोड़ों में से 86.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि अपर्याप्त एवं 11.25 प्रतिशत ने पर्याप्त बताई है जबकि 2.50 प्रतिशत ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। जिन 86.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनुदान राशि अपर्याप्त होना बताया है उनमें से 62.32 प्रतिशत ने 10,000 रूपये प्रति जोड़ा, 20.29 प्रतिशत ने 12,500 रूपये प्रति जोड़ा एवं 15.14 प्रतिशत ने 15,000 रूपये तथा 1.45 प्रतिशत ने 20,000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि बढ़ाया जाना बताया है।

(xi) **चयनित संस्थाओं की आय एवं मदवार व्यय राशि** – चयनित संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु संदर्भित वर्षों में विभिन्न स्त्रोतों से कुल 160.83 लाख रूपये की राशि प्राप्त की गई। इस कुल राशि में सर्वाधिक 111.44 (71.16 प्रतिशत) लाख रूपये वर–वधू पक्ष के परिवारों से पंजीयन शुल्क एवं 32.77(2.37 प्रतिशत) लाख रूपये जनसहयोग/जातिगत समाज एवं दानदाताओं तथा 3.20(1.99 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि गुप्तदान व संस्थाओं के निजी स्त्रोतों 10.42(6.48 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि राज्य सरकार से आयोजन पेटे में अनुदान से प्राप्त हुई है। सामूहिक विवाहों के अवसर पर चयनित जिलों की चयनित संस्थाओं द्वारा संदर्भित वर्षों में विभिन्न मदों पर कुल 151.01 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है जिनमें सर्वाधिक 47.14 लाख रूपये दहेज/घरेलू सामग्री पर, 4.57 लाख रूपये कपड़े, 18.20 लाख रूपये आभूषण, 10.92 लाख रूपये उपहार/नगद, 39.69 लाख रूपये प्रीतिभोज एवं 21.95 लाख रूपये की राशि विवाह आयोजन व्यवस्था पर तथा 8.54 लाख रूपये की राशि विविध मदों पर व्यय की गई है।

(xii) **सामूहिक विवाह कार्यक्रम की उपयोगिता** – अध्ययन के दौरान चयनित शत–प्रतिशत उत्तरदाता वर–वधू/जोड़ों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को उपयोगी होना स्वीकार करते हुए फिजूलखर्चों में कमी एवं अनावश्यक व्ययों

की रोकथाम होने के साथ–साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अति उपयोगी होना अभिलिखित किया है।

XIII. सामूहिक विवाह अनुदान योजना की प्रभावी क्रियान्विति संदर्भ में अनुशंषाऐं–

(i) राज्य स्तर पर अभिलेखों का संधारण, रख–रखाव, मॉनिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्था की जावे।

(ii) योजनान्तर्गत आवंटित/प्रावधान राशि का शत–प्रतिशत उपयोग करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(iii) प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

(iv) अधिकतम संख्या सम्बन्धी शर्त को विलोपित किया जाना चाहिए।

(v) जिलों को प्रावधान राशि समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(vi) अन्तर्जातिय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vii) स्वैच्छिक संस्थाओं के लेखों का सनदी लेखाकार से नियमित अंकेक्षण करवाया जाना चाहिए।

अन्य –

1. अनुदान राशि सामूहिक विवाह से पूर्व दी जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
2. सामूहिक विवाह के अवसर पर व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस स्तर से आवश्यकतानुसार सहयोग दिया जाने पर निर्णय किया जाना चाहिए।
3. विवाह स्थल पर पानी, बिजली एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए।
4. सम्भागीय/जिला स्तर के मुख्यालयों पर सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु सरकारी परिसर/स्थान निशुल्क या साधारण किराये पर उपलब्ध कराने पर निर्णय करवाया जाना चाहिए।
5. अनुदान प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए।
6. एल.पी.जी. की व्यवस्था को सरल एवं सस्ती करवायी जानी चाहिए।
7. सामूहिक विवाह हेतु 15 दिन के स्थान पर 3 दिन पूर्व की अवधि तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की पुष्टि होनी चाहिए।

निष्कर्ष –

सामूहिक विवाह अनुदान योजना एक आदर्श व्यवस्था है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विवाह समारोहों पर होने वाली फिजूल खर्चों, दहेज एवं बाल विवाहों की रोकथाम के साथ–साथ विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए होने वाली भाग दौड़ से छुटकारा मिल जाता है। इस कार्यक्रम की निरन्तरता की आवश्यकता है, इसके लिए प्रचार–प्रसार के साथ–साथ योजना क्रियान्विति एजेन्सी को योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत कर उन्हें समय पर उपलब्ध करवाने, योजना के अभिलेखों का व्यवस्थित रूप से संधारण, सूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं योजना की मॉनिटरिंग करने तथा अन्तर्जातिय विवाहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है।

———

अध्याय प्रथम

अध्ययन परिचय

1.1 पृष्ठभूमि :

1.1.1 वैदिक संस्कृति का मुख्य उद्देश्य जीवात्मा को श्रेष्ठ, शालीन एवं सुसंस्कारित बनाकर सांसारिक यात्रा में प्रवेश कराना होता है। शास्त्रों में उद्धृत है, **"जन्मता जायते शुद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते"** संस्कारों के परिपूर्ण होने से व्यक्ति प्रभावशाली और सुखमय जीवन जीता है। भारतीय शास्त्रों में जीव के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर शरीर छोड़ने तक 16 संस्कारों की भूमिका रहती है। भारतीय मनिषियों द्वारा वेदों में उद्धरित मानव जीवन की सुखद जीवन यात्रा के संदर्भ में 16 संस्कारों की भूमिका बतायी है, यथा– (1) गर्भाधान (2) पुंसवन (3) सीमान्तोजमन (4) जातकर्म (5)नामकरण (6) निष्क्रमण (7) अन्नप्राशन (8) चूड़ाकर्म (9) कर्णवेद्य (10) उपनयन (11) वेदारम्भ (12) समार्वतन (13) विवाह (14) वानप्रस्थ (15)सन्यास (16)अन्त्येष्टि कर्म आदि है।

1.1.2 मानव इतिहास के आदिकाल से ही विवाह एक महत्वपूर्ण पुनीत धार्मिक संस्कार माना गया है। भारतीय संस्कृति में विवाह की आठ पद्धतियाँ बतलायी गयी है, यथा– ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गन्धर्व, राक्षस तथा पैशाच। इनमें ब्राह्म देव, आर्ष तथा प्राजापत्य विवाह पद्धतियों को ही समाज ने मान्यता दी थी, शेष पद्धतियाँ अमान्य मानी गयी। कालान्तर में सामाजिक वर्ण व्यवस्था ने समाज में विवाह की सीमाऐं निर्धारित कर जातिय विवाह को मान्यता दी, यदा–कदा यत्र–तत्र अन्तर्जातिय विवाह होने पर विवाहित दम्पत्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था परन्तु बढ़ते हुए भौतिक एवं शैक्षिक विकास ने विवाह की सीमिति मर्यादाओं का विस्तार कर जातिय विवाह के साथ अन्तर्जातिय विवाह करने लगे हैं जिसको शासन एवं समाज ने स्वीकार कर लिया है। विवाह एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है जिसमें कन्या का पिता अनुष्ठान के द्वारा कन्या के स्वामित्व को कन्यादान से योग्य वर को सुपुर्द कर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। विवाह संस्कार कई सामाजिक रीति–रिवाजों की पंक्तियाँ पार करने के बाद अग्नि की साक्षी में समारोह रूप में सम्पन्न होने से सर्वाधिक खर्चीला संस्कार माना गया है।

1.2 सामूहिक विवाह अनुदान योजना की रूपरेखा :

1.2.1 धनाढ्य परिवार जिसे अभिजात्य वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है, के द्वारा समाज में अपनी विशेष वैभव प्रास्थिति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विवाह समारोहों पर काफी धन व्यय किया जाता हैं। इसका अनुसरण मध्यम वर्ग द्वारा भी अपनी आर्थिक स्थितिनुसार किया जाने से समाज के कमजोर आय वर्ग के लोग इनका अनुकरण नहीं करने से अपने आपको असहाय महसूस कर बाल विवाह को जीवन्त रखा है। अतः विवाह समारोह पर अनावश्यक व्ययों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अकुंश एवं बाल विवाहों को हतोत्साहित करने के लिए समाज की कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने सामूहिक विवाह

प्रथा का प्रचलन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब परिवारों को अपने पुत्र–पुत्रियों के विवाह के अनावश्यक व्यय से राहत दिलाने का प्रयास है तथा राज्य सरकार द्वारा भी सामूहिक विवाहों के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 बनाकर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उनमें संशोधन भी किया जाता रहा है ताकि कमजोर आय वर्ग के दम्पत्तियों की आर्थिक मदद की जा सके। इसी श्रृंखला में वर्ष 2004 में सामूहिक विवाह अनुदान योजना में व्यावहारिक संशोधन किए गए हैं। इन नियमों के द्वारा सामूहिक विवाहों से फिजूलखर्ची को नियन्त्रित किया जाने का राज्य सरकार का प्रयास है।

1.3 सामूहिक विवाह अनुदान योजना का क्रियान्वयन :

1.3.1 राज्य में उक्त योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा वर्ष 1996–97 से सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है।

1.4. सामूहिक विवाह अनुदान नियम :

1.4.1 सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आर्थिक अनुदान देने हेतु राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 बनाकर उन्हें सम्पूर्ण राज्य में लागू किया एवं समय–समय पर इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्द्धन/परिवर्तन किया गया। सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था, संगठन या आयोजनकर्ताओं को एक बार में कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर प्रति दम्पत्ति 1000/– रूपये की राशि का अनुदान देय होगा परन्तु प्रत्येक आयोजन पर अधिकतम 50,000 रूपये से अधिक की राशि देय नहीं होगी। वर्ष 1997 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने 16.3.1999 को अधिसूचना जारी कर 25 जोड़ों के स्थान पर एक बार में कम से कम 10 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर अनुज्ञेय अनुदान राशि की स्वीकृति जारी की। तदुपरान्त राजस्थान राजपत्र विशेषांक के जरिए दिनांक 2.8.2004 को अधिसूचना प्रकाशित कर नियमों के संशोधन करते हुए एक हजार रूपये के स्थान पर 5,000/–रूपये की अनुदान राशि में से न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि विवाहित स्त्री को स्त्रीधन के रूप में डाकघर या अधिसूचित बैंकों में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में जमा कराया जाना आवश्यक किया गया एवं शेष 25 प्रतिशत की राशि सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाली संस्था अपने आयोजन पेटे व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया। यह अनुदान राशि उन्हीं प्रकरणों में देय होगी जहाँ सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली पंजीकृत संस्था, संगठन या आयोजकों द्वारा एक बार में कम से कम 10 एवं अधिकतम 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जाता है, देय अधिकतम अनुदान राशि 1,00,000/– रूपये से अधिक नहीं होगी। सामूहिक विवाह अनुदान की पात्रता में जाति बन्धन नहीं है।

1.5 **सामूहिक विवाह अनुदान योजना की शर्तें–अनिवार्यता :**

(i) सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था रजिस्ट्रार संस्थाओं के कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ii) आयोजनकर्ता संस्थाओं को विवाह आयोजन करने की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय/जिला परिषद/जिला महिला विकास अभिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना आवश्यक है।

(iii) संशोधित नियम वर्ष 2004 के अनुसार आयोजनकर्ता संस्था द्वारा एक बार में न्यूनतम 10 जोड़ों का विवाह कराने पर अनुदान देय होगा एवं अधिकतम 20 जोड़ों के लिए ही अनुदान दिया जा सकेगा। स्वीकृत अनुदान राशि 5000/– प्रति जोड़ा तथा अधिकतम 20 जोड़ों के लिए 1,00,000/– देय होगा।

(iv) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित विवाह योग्य जोड़ों का नाम, पता एवं उनकी आयु सम्बन्धी सूची संलग्न की जानी अनिवार्य है।

(v) जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण को सत्यापन एवं अनुशंषा हेतु प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

(vi) आयोजन के पश्चात् परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव सत्यापित कर अनुशंषा सहित जिला कलक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं।

(vii) विवाह योग्य लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है तथा जन्म प्रमाण–पत्र अनुदान प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(viii) आयोजनकर्ता संस्था को पहले रूपये 3750/– प्रति विवाहित स्त्री के नाम से स्त्रीधन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के लिए किसी डाकघर अथवा किसी अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा करवाने होंगे तथा रसीद/छाया प्रति अनुदान प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ix) अनुदान राशि जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जावेगी एवं यह राशि जिला महिला विकास अभिकरण के माध्यम से देय होगी जो ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से आयोजनकर्ता को आयोजन के पश्चात् ही देय होगी/है।

(x) जिन जिलों में जिला महिला विकास अभिकरण कार्यालय नहीं है वहाँ उपनिदेशक (आई.सी.डी.एस.) के माध्यम से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावेगी/जाती है।

1.6 सामूहिक विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य :

1.6.1 राज्य सरकार द्वारा सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु विवाहों पर अनावश्यक व्ययों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 निम्न उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर योजना का संचालन करवाया जा रहा है :–

(i) कमजोर आय वर्ग के दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता/सम्बल प्रदान करना।
(ii) विवाह समारोहों पर किये जाने वाले अनावश्यक व्ययों को नियन्त्रित करना।
(iii) बाल विवाहों को रोकना।
(iv) सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करना।

1.7 वित्तीय व्यवस्था :

1.7.1 राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु राज्य के प्रत्येक जिला स्तरीय उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला महिला विकास अभिकरण के निजी निक्षेप खाते में निर्धारित राशि जमा कराई जाती है। इस राशि में से 50 प्रतिशत राशि के व्यय होने पर उप निदेशक एवं परियोजना निदेशक द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते हैं।

1.8 सामूहिक विवाह अनुदान योजना की प्रगति :

1.8.1 सामूहिक विवाह अनुदान योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई है तथा वर्ष 1996–97 से उक्त योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार राज्य के 23 जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक तीन वर्षों में 1069 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया जिसके विरूद्ध 39.91 लाख रूपये की राशि बतौर अनुदान व्यय की गई है।

1.9 सामूहिक विवाह अनुदान योजना के मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.9.1 माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस योजना का अध्ययन मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया है।

1.10 मूल्यांकन के उद्देश्य :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) योजना की उपयोगिता का विश्लेषण करना।

(iii) उपलब्ध करवाई जा रही अनुदान राशि की पर्याप्तता का आंकलन करना।

(iv) बाल विवाहों की रोकथाम की स्थिति को ज्ञात करना।

(v) सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाहित दम्पत्तियों की सामाजिक प्रास्थिति(Status) को ज्ञात करना।

(vi) योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके निराकरण व प्रभावी संचालन हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.11 न्यादर्श परिकल्पना :

1.11.1 राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार सामूहिक विवाह अनुदान योजना राज्य के 23 जिलों में संचालित किया जाना अवगत करवाया है, इनमें 2 जिलों में अनुदान राशि का तो प्रावधान किया गया था किन्तु आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया इसके अतिरिक्त 5 जिलों में 15 से भी कम संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित किये जाने से प्रगति काफी कम रही है। अतः वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक में अर्जित भौतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली पर न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया है:–

(1) प्रथम स्तर पर वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की राज्य के जिलों की जिलेवार भौतिक प्रगति की सूचनाओं को जोड़कर उक्त ईकजाई प्रगति की संख्याओं को घटते हुए क्रम में जिलेवार जमाकर 25 प्रतिशत ऐसे जिलों का चयन किया गया, जिनमें सबसे अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना अनुसार गत 3 वर्षों में सर्वाधिक सामूहिक विवाह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं कोटा जिलों में सम्पन्न हुए हैं जिन्हें अध्ययन हेतु चयनित किया गया हैं।

(2) द्वितीय स्तर पर उद्देश्यात्मक चयन प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चयनित जिलों में जहाँ पंजीकृत संस्थाओं/संगठनों द्वारा सामूहिक विवाह आयोजित करवाये हैं उन संस्थाओं की सूची में से 25 प्रतिशत ऐसी संस्थाओं का चयन किया गया जिनके द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक जिले में सबसे अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करवाया गया। चयनित संस्थाओं द्वारा करवाये गये विवाहित जोड़ों की सूची में दम्पत्ति/जोड़ा नहीं मिलने पर अन्य संस्थाओं से जोड़ों का चयन किया गया जिनमें विवाहित जोड़े उपलब्ध थे।

(3) तृतीय स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला महिला बाल विकास अभिकरण एवं उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाहों में विवाहित दम्पत्तियों (जोड़ों) की वर्षवार (2003–04 से 2005–06) सूची एवं नाम पते सहित प्राप्त कर उनमें से साधारण न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए प्रत्येक जिले से अधिकतम 20 दम्पत्तियों/जोड़ों का चयन किया गया जिनको उक्त योजना में अनुदान मिला है या सामूहिक विवाह से लाभान्वित हुए हैं।

1.12 निर्मित अनुसूचियाँ :

1.12.1 अध्ययन हेतु निम्नांकित अनुसूचियाँ उपयोग में ली गई है :–

(1) प्रलेख अनुसूची – इस अनुसूची में योजनान्तर्गत की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना एकत्रित की गयी है। यह अनुसूची राज्य/जिला स्तर पर प्रलेखीय सूचनाऐं एकत्रित करने हेतु उपयोग में ली गई है।

(2) संस्था अनुसूची– यह अनुसूची उन पंजीकृत चयनित संस्थाओं से भरी गई जिन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन करवाकर अनुदान प्राप्त कर सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाये हैं। इस अनुसूची में संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान राशि एवं अन्य सूचनाओं का विवरण है।

(3) दम्पत्ति/जोड़ा अनुसूची (लाभार्थी अनुसूची) – इस अनुसूची में योजनान्तर्गत विवाहित दम्पत्तियों/जोड़ों से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं साक्षात्कार उपरान्त वांछित सूचनाऐं भरी गयी है, इसमें जोड़ों की सामाजिक/पारिवारिक स्थिति, सामूहिक विवाह की उपयोगिता आदि से सम्बन्धित सूचनाऐं हैं।

(4) सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची – यह अनुसूची उन सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों से भरी गई है, जो योजना के क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या उन्हें जानकारी है, से व्यक्तिगत साक्षात्कार उपरान्त उनके विचार एवं प्रतिक्रियाऐं यथा स्थान भरी गई है।

(5) अवलोकन टिप्पण – क्षेत्र कार्य के दौरान विभागीय अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपना अवलोकन टिप्पण बिन्दुवार तथ्यों सहित तैयार किया गया है।

1.13 संदर्भ अवधि :

1.13.1 प्रलेखनीय सूचनाओं के लिए संदर्भ अवधि वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक तथा अन्य सूचनाऐं सर्वे दिनांक/साक्षात्कार तिथि से सम्बन्धित है।

———

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.1 समाज में विवाह अभिजात्य वर्ग के लिए शान–शौकत एवं वैभव प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। जहाँ धनाढ्य वर्ग अपनी आकांक्षाओं एवं सामर्थ्य अनुरूप विवाह समारोहों पर साज–सज्जा, तड़क–भड़क का भौतिक प्रदर्शन पर अधिकाधिक धनराशि व्यय करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास करता है परन्तु इस प्रकार के प्रदर्शन स्थापित करने से मध्यम एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों/ परिवारों के लिए विवाह एक आर्थिक भार बनता जा रहा है, फलस्वरूप कम आय वाले व्यक्तियों के लिए विवाह समारोह का भार सहज नहीं रह गया है।

2.1.2 गत दशकों में समाज के विभिन्न जाति समुदायों से जुड़े संगठनों, संस्थाओं ने विवाह समारोहों पर होने वाली इस फिजूलखर्ची पर नियन्त्रण एवं आर्थिक सहयोग करने के लिए सामूहिक विवाह समारोहों/सम्मेलनों की शुरूआत कर समाज के मध्यम एवं गरीब वर्ग के युगल जोड़ों का सामूहिक विवाह एक ही स्थान/पांडाल में कराया जाने लगे हैं। इन सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने वर्ष 1996 में सामूहिक विवाह अनुदान नियम बनाकर इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया। इन नियमों के अन्तर्गत सामूहिक विवाह आयोजन करने वाले संगठनों/संस्थाओं एवं आयोजकों को प्रति जोड़ा आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया। कालान्तर में आवश्यकतानुसार इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन किया गया।

2.2 योजना की राज्य स्तरीय प्रगति :

2.2.1 राज्य में सामूहिक विवाह अनुदान योजना का क्रियान्वयन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 1996 से किया जा रहा है। योजना क्रियान्विति के प्रारम्भिक वर्षों में सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्थाओं, संगठनों एवं आयोजकों को एक बार में एक साथ कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर प्रति जोड़ा 1000/– रूपये एवं अधिकतम 50,000 रूपये तक की अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान था। तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 में सामूहिक विवाह अनुदान नियमों में संशोधन कर एक बार में एक साथ कम से कम 10 एवं अधिकतम 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली पंजीकृत संस्थाओं को 1000/– रूपये के स्थान पर 5,000/– रूपये प्रति जोड़ा दिये जाने का प्रावधान किया गया, जो अधिकतम 1,00,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा। उक्त राशि में 75 प्रतिशत की राशि प्रति विवाहित स्त्री के नाम से स्त्रीधन के रूप में एवं शेष 25 प्रतिशत की राशि सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था को आयोजन पेटे में दिये जाने की व्यवस्था है।

2.2.2 राज्य में सामूहिक विवाह अनुदान योजना की प्रगति का आकलन एवं समीक्षा पूर्ण एवं स्पष्ट वांछित समंकों व सूचनाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग से अध्ययन वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक राज्य की जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं के साथ अन्य वांछित सूचनाऐं निर्धारित राज्य प्रलेख अनुसूची में चाही गई थी किन्तु नियमित स्मरण एवं व्यक्तिशः सम्पर्क करने के उपरान्त भी कार्यकारी विभाग द्वारा प्रतिवेदन प्रारूपण तक सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाने से राज्य स्तरीय प्रगति का मानचित्र प्रतिवेदन में उपदर्शित नहीं किया जा सका। व्यक्तिगत सम्पर्क कर कार्यकारी विभाग ने उनके मुख्यालय पर समेकित सूचनाऐं उपलब्ध होना नहीं बताया।

2.2.3 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक उपलब्ध करवायी गयी राज्य के 23 जिलों की प्रारम्भिक सूचनाऐं जो प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I एवं II पर उपलब्ध है, के अनुसार अध्ययन हेतु न्यादर्श जिलों का चयन किया गया जबकि सामूहिक विवाह अनुदान योजना राज्य के 32 जिलों में समावेशित है। अतः राज्य के 23 जिलों की सूचनाओं को ही राज्य स्तरीय प्रगति की सूचना मानते हुए योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गई है :–

राज्य में सामूहिक विवाह अनुदान योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

वर्ष	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति (संख्याओं में)	
	प्रावधान राशि	व्यय राशि	लक्ष्य	उपलब्धि
2003–04	–*	4.17	निर्धारित नहीं है	417
2004–05	16.00	8.56 (53.5)	निर्धारित नहीं है	193
2005–06	82.00	22.28 (27.17)	निर्धारित नहीं है	459
कुल योग	98.00	35.01 (35.72)	निर्धारित नहीं है	1069

नोट– 1. *वर्ष 2003–04 में किसी भी जिले में राशि का आवंटन नहीं किया गया। 14 जिलों में पिछले वर्ष की शेष राशि उपलब्ध होना बताया किन्तु राशि के समंक उपलब्ध नही।

2. ( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.2.4 उपरोक्त वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की तालिका के समंकों एवं राज्य की जिलेवार एवं वर्षवार प्रगति जो प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I एवं II पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003–04 में किसी भी जिले में आवंटन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य के 23 जिलों की उपलब्ध प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार राज्य के 14 जिलों में पिछले वर्ष की बचत शेष राशि उपलब्ध थी, इस शेष बचत राशि में से ही 10 जिलों में सामूहिक विवाह आयोजन पर बतौर अनुदान 4.17 लाख रूपये की राशि वर्ष 2003–04 में व्यय की गई है जबकि 4 जिलों में शेष बचत राशि का उपयोग ही नहीं किया गया। शेष जिलों में प्रावधान राशि नहीं होने के कारण उन जिलों में कोई व्यय/प्रगति नहीं हुई है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य के 9 जिलों में 16.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया एवं 7 जिलों में पिछले वर्ष की शेष बचत राशि (समंक उपलब्ध नहीं) उपलब्ध होना अवगत करवाया है। इस प्रकार राज्य के 16 जिलों में प्रावधान राशि एवं पिछले वर्ष की शेष राशि के योग के विपरीत केवल 12 में 8.56(53.5 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग योजनान्तर्गत किया गया है जबकि 4 जिलों में प्रावधान राशि उपलब्ध होने के बावजूद प्रावधान राशि का उपयोग नहीं किया गया। शेष 7 जिलों में राशि का प्रावधान नहीं होने के कारण इन जिलों में प्रगति शून्य रही।

(iii) वित्तीय वर्ष 2005–06 में योजनान्तर्गत राज्य के 19 जिलों में 82.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया जिसके विपरीत 12 जिलों में 22.28(27.17 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई है जबकि 7 जिलों में राशि उपलब्ध होने के बावजूद एवं शेष 4 जिलों में प्रावधान राशि नहीं होने के कारण प्रगति शून्य रही है।

(iv) संकलित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राज्य में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल 1069 जोड़े ही सामूहिक विवाह से लाभान्वित हुए है। उनमें वर्ष 2003–04 में 417, वर्ष 2004–05 में 193 तथा वर्ष 2005–06 में 459 जोड़े लाभान्वित हुए हैं, जो योजना की धीमी प्रगति के सूचक हैं। विभाग अनुसार योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अतः लक्ष्यों के अभाव में लक्ष्यों के विपरीत अर्जित उपलब्धियों का विश्लेषण करना सम्भव नहीं है।

2.2.5 योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य स्तर पर विभाग के पास योजना की प्रगति की समेकित सूचना संधारित नहीं है। मुख्यालय स्तर पर योजना से सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि राज्य स्तर पर योजना कार्यक्रम के अभिलेखों का वर्षवार एवं जिलेवार संधारण किया जाकर सूचना तंत्र को प्रभावी तथा परिष्कृत कर कार्यक्रम की अद्योतन प्रगति मानचित्र तैयार करवाया जावे एवं कार्य प्रगति की सामयिक मॉनिटिरिंग की जावे तथा राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थापित किया जावे ताकि कार्यक्रम की प्रगति को गति मिल सके।

2.3 चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

2.3.1 अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों में क्षेत्रीय कार्य के दौरान उनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आंकलन हेतु जिलों में स्थित उप निदेशक एवं परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला महिला विकास अभिकरण कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं की स्थिति निम्न प्रकार रही :–

चयनित जिलों में आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रावधान राशि एवं व्यय राशि (राशि लाख रूपये में)							
		2003–04		2004–05		2005–06		चयनित जिलों को कुल आवंटित / व्यय राशि	
		प्रावधान राशि	व्यय राशि	प्रावधान / शेष राशि	व्यय राशि	प्रावधान राशि	व्यय राशि	प्रावधान राशि	व्यय राशि
1.	कोटा	*1.13	निल	**1.13	0.39	7.00	5.18	8.13	5.57 (68.51)
2.	चित्तौड़–गढ़	0.74	0.50	**0.24	निल	8.00	5.10	8.74	5.60 (64.07)
3.	उदयपुर	0.66	0.64	3.31	0.78	14.03	7.28	18.00	8.70 (48.33)
4.	जोधपुर	3.24	0.16	**3.08	2.52	7.00	निल	10.24	2.68 (26.17)
	योग	**5.77**	**1.30 (22.53)**	**7.76**	**3.69 (47.55)**	**36.03**	**17.56 (48.74)**	**45.11**	**22.55 (49.99)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

* चयनित जिला कोटा को वर्ष 2003–04 में आवंटित 1.93 लाख रूपये की राशि में से 0.80 लाख रूपये की राशि उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री गंगानगर को स्थानान्तरित किये जाने के कारण 1.13 लाख रूपये की राशि दर्शायी गई है।

** कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर जिले में पिछले वर्ष की शेष रही राशि को वर्ष 2004–05 में दर्शाया गया है।

2.3.2 चयनित जिलों की उपरोक्त वित्तीय प्रगति की तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) योजनान्तर्गत चयनित जिलों को संदर्भित वर्षों में कुल 45.11 लाख रूपये की राशि का प्रावधान/आवंटन किया गया था जिसके विपरीत 22.55 (49.99 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है एवं 22.56(50.01 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि शेष रह गई। अतः चयनित जिलों में संदर्भित वर्षों में लगातार 50 प्रतिशत से भी कम राशि ही व्यय की गई है, जो कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार की कमी को इंगित करता है।

(ii) वर्ष 2003–04 में चयनित जिलों के पास 5.77 लाख रूपये की प्रावधान राशि उपलब्ध थी जिसके विपरीत 1.30(22.53 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग केवल 3 जिलों में ही किया गया है। कोटा जिले में राशि का उपयोग ही नहीं हुआ तथा शत–प्रतिशत राशि शेष रहने के कारण वित्तीय प्रगति शून्य रही। इसी प्रकार जोधपुर जिले को आवंटित 3.24 लाख रूपये की राशि के विपरीत 0.16(4.94 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही उपयोग में ली गई है जबकि जिले की भौतिक प्रगति एवं परिशिष्ट–III में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार उक्त वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय क्रियान्वित विभाग को संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं एवं सामूहिक विवाहों का आयोजन कर विवाह भी सम्पन्न हुए हैं किन्तु अनुदान राशि आयोजनकर्ता संस्थाओं को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः उक्त वर्ष में वित्तीय प्रगति काफी धीमी रही है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2004–05 में चयनित जिला कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर जिलों को योजनान्तर्गत राशि का आवंटन नहीं किया गया। इन जिलों के पास पिछले वर्ष की शेष राशि को इस वित्तीय वर्ष में दर्शाया गया है जिनमें 1.13 लाख रूपये कोटा, 0.24 लाख रूपये चित्तौड़गढ़ तथा 3.08 लाख रूपये की शेष राशि जोधपुर जिले के पास उपलब्ध रही जबकि उदयपुर जिले के लिए 3.31 लाख रूपये की प्रावधान राशि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार चयनित जिलों में पिछले वर्ष की शेष बचत राशि एवं उदयपुर जिलों को आवंटित राशि को जोड़कर उक्त वर्ष में कुल 7.76 लाख रूपये की राशि के विपरीत 3.69(47.55 प्रतिशत) राशि का ही उपयोग किया गया है अर्थात् उक्त वर्ष में भी पचास प्रतिशत से भी कम राशि का उपयोग किया गया है, जो योजना/कार्यक्रम की धीमी प्रगति का संकेत है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2005–06 में चयनित जिलों को कुल 36.03 लाख रूपये की राशि योजना/कार्यक्रम हेतु आवंटित की गई जिसके विपरीत 17.56(48.74 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई।

2.3.3 अतः उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु चयनित जिलों में किसी भी जिले में संदर्भित वर्षों में लगातार उपलब्ध प्रावधान/शेष बचत राशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है एवं उपलब्ध/शेष बचत राशि का पचास प्रतिशत से कम उपयोग हुआ है, जो कार्यक्रम की धीमी प्रगति को दर्शाता है। उपरोक्त संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि योजना के उद्देश्यों को विस्तार से प्रचार–प्रसार के साथ उपलब्ध/आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2.3.4 शेष बचत एवं उपलब्ध राशि का सम्पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारणों की जानकारी करने पर कार्यकारी विभाग ने इसके निम्न कारण बतलाये हैं :–

(i) संस्थाओं से सामूहिक विवाह के पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना एवं आवेदन पत्र कम मात्रा में प्राप्त होना।
(ii) संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में नियमानुसार आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करना, जैसे– आयु प्रमाण पत्र, सावधि जमा राशि जमा नहीं करवाना।
(iii) आवंटित राशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त नहीं होना एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में प्राप्त होने पर उस वित्तीय वर्ष में राशि शेष रह जाती है फलस्वरूप संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने में देरी होती है।
(iv) सामूहिक विवाह आयोजन नहीं होना।

2.4 भौतिक प्रगति –

2.4.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों के उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों से वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक सामूहिक विवाहों में लाभान्वित जोड़ों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार लाभान्वित जोड़ों/दम्पत्तियों की संख्या					
		2003–04		2004–05		2005–06	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कोटा	निर्धारित नहीं है	00	निर्धारित नहीं है	39	निर्धारित नहीं है	241
2.	चित्तौड़गढ़	"	50	"	00	"	102
3.	उदयपुर	"	64	"	78	"	204
4.	जोधपुर	"	73	"	39	"	41
	कुल योग		**187**		**156**		**588**

2.4.2 चयनित जिलों की उपरोक्त भौतिक प्रगति की तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में चयनित जिला चित्तौड़गढ़ में 50, उदयपुर में 64 तथा जोधपुर 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न किया गया है जबकि चयनित जिला कोटा में प्रगति शून्य रही है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में कोटा में 39, उदयपुर में 78 एवं जोधपुर में 39 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया जबकि चयनित जिला चित्तौड़गढ़ में सामूहिक विवाह योजना की प्रगति शून्य रही। वित्तीय वर्ष 2005–06 में कोटा जिला में सर्वाधिक 241 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न किया गया जबकि जोधपुर जिले में सबसे कम 41 जोड़ों का ही सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 102 तथा उदयपुर में 204 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। अतः संदर्भित वर्षों में चयनित जिलों में कुल 931 जोड़ों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

2.4.3 योजना के लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में चयनित जिलों में योजना को क्रियान्वित करने वाले विभाग/एजेन्सी के अधिकारियों/कर्मचारियों से जानकारी करने पर समस्त अधिकारियों ने अध्ययन दल को अवगत करवाया कि योजनान्तर्गत प्रगति के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

2.4.4 अध्ययन किये गये जिलों की वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के समंकों एवं प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I एवं II पर उपलब्ध राज्य के 23 जिलों की प्रारम्भिक भौतिक एवं वित्तीय सूचनाओं के समंकों का अवलोकन एवं परस्पर उनकी जांच करने पर उनमें अन्तर रहने के कारण समंक विरोधाभाषी है जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाये गये समंक अद्योत्तन नहीं है। राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय नहीं होने से कार्य प्रगति परिलक्षित नहीं होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए एवं सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जावे।

2.5 आवेदन पत्रों की स्थिति :

2.5.1 सामूहिक विवाहों का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाता है। सामूहिक विवाह हेतु पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग/जिला महिला विकास अभिकरण कार्यालय को सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु विवाह योग्य जोड़ों की सूची सहित आवेदन करना आवश्यक होता है।

2.5.2 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में स्थित योजना को क्रियान्वित करने वाले विभाग/एजेन्सी को सामूहिक विवाह के आयोजनों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वर्षवार प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं उनकी स्वीकृति सम्बन्धी संकलित सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में उपदर्शित किया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष	आवेदित संस्थाओं की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	प्रस्तावित विवाह हेतु जोड़ों की संख्या	सामूहिक विवाह में सम्मिलित जोड़ों की संख्या	सम्मिलित नहीं होने वाले जोड़ों की संख्या
1.	कोटा	2003–04	–	–	–	–	–	–
		2004–05	2	2	2	39	39	–
		2005–06	8	8	8	241	241	–
2.	चित्तौड़गढ़	2003–04	1	1	1	104	50	54
		2004–05	–	–	–	–	–	–
		2005–06	7	7	7	104	102	2
3.	उदयपुर	2003–04	2	2	2	64	64	–
		2004–05	4	4	4	78	78	–
		2005–06	9	9	9	204	204	–
4.	जोधपुर	2003–04	4	4	4	79	73	6
		2004–05	2	2	2	39	39	–
		2005–06	1	1	1	41	41	–
	योग		**40** (100.00)	**40** (100.00)	**40** (100.00)	**993** (100.00)	**931** (93.76)	**62** (6.24)

नोट– ( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.5.3 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि चयनित जिलों में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में योजना क्रियान्वित कार्यालयों को सामूहिक विवाह हेतु 993 विवाह योग्य जोड़ों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिसमें से 931(93.76 प्रतिशत) जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया गया जबकि शेष 62(6.24 प्रतिशत) जोड़ों का विवाह सामूहिक विवाह अनुदान नियमों की शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं करना बताया।

2.5.4 चयनित जिलों में योजना क्रियान्वित करने वाले विभाग के कार्यकारियों से संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किये जाने के कारणों की जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैं :–

(क) संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित जोड़ों की आयु/जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
(ख) प्रस्तुत सूची में नाबालिग जोड़े होना।
(ग) न्यूनतम संख्या से कम जोड़ों की संख्या होना।
(घ) बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच रिपोर्ट अनुकूल नहीं होना।
(च) संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन की निर्धारित प्रतिशत राशि की सावधि जमा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
(छ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाली संस्था पंजीकृत नहीं होना।

2.5.6 चयनित जिलों में क्षेत्रीय कार्य के दौरान सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किये जाने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित जिलों के सभी विभागीय कार्यकारियों ने पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप में आवेदन किया जाना अवगत करवाया है।

2.5.7 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित तिथि को ही सामूहिक विवाह सम्पन्न होने या नहीं होने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित जिला स्तरीय विभाग/एजेन्सी के कार्यकारियों ने संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित तिथि को ही सामूहिक विवाह सम्पन्न होने की अभिलिखित की गयी।

2.6 अनुदान/स्त्रीधन :

2.6.1 राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाहों की प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व में सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं को न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या तक के जोड़ों पर 1000/– रूपये प्रति जोड़ा संस्थाओं को ही शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता था तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 में अनुदान राशि में वृद्धि कर 5000/– रूपये प्रति जोड़ा की राशि 75 प्रतिशत स्त्रीधन के रूप में विवाहित स्त्री के नाम से 3 वर्ष की अवधि के लिए डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक में विवाह से पूर्व संस्थाओं द्वारा जमा करवाने एवं 25 प्रतिशत राशि सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली पंजीकृत संस्थाओं को आयोजन के पुनर्भरण हेतु दिये जाने का प्रावधान किया गया।

2.6.2. अध्ययन हेतु चयनित जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को देय अनुदान एवं सामूहिक विवाहों से लाभान्वित जोड़ों की वर्षवार, संस्थावार संकलित सूचनाओं का विवरण **परिशिष्ट–III** पर उपलब्ध है। उक्त सूचनाओं की इकजाई प्रगति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक में स्वैच्छिक संस्थाओं को देय अनुदान राशि एवं लाभान्वित जोड़ों की संख्या				
		स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं द्वारा आयोजित विवाह समारोहों की संख्या	सामूहिक विवाह से लाभान्वित जोड़ों की संख्या	स्वीकृत अनुदान राशि (लाख रूपये में)	देय अनुदान राशि (लाख रूपये में)
1.	कोटा	8	11	280	5.57	5.57
2.	चित्तौड़गढ़	7	7	152	5.60	5.60
3.	उदयपुर	12	15	346	8.70	8.70
4.	जोधपुर	7	7	153	2.68	2.68
	योग	**34**	**40**	**931**	**22.55**	**22.55**

2.6.3 उपरोक्त इकजाई सूचनाओं का अवलोकन करने से यह जानकारी मिलती है कि अध्ययन किये गये जिलों में उक्त अवधि में सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली 34 स्वैच्छिक संस्थाओं ने 40 सामूहिक विवाहों का आयोजन किया है एवं इन आयोजनों में 931 जोड़ों/दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को इस निमित 22.55 लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत कर उन्हें उपलब्ध करवाई गई है।

2.6.4 सारणी में उपलब्ध सूचनाओं के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि संदर्भित अवधि में अन्य जिलों की तुलना में उदयपुर स्थित संस्थाओं ने सर्वाधिक सामूहिक विवाहों का आयोजन कर 346 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया है एवं इन संस्थाओं को 8.70 लाख रूपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है जबकि जोधपुर जिले में स्थित संस्थाओं को अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम 2.68 लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत कर उपलब्ध करवाई है। लाभान्वित जोड़ों की संख्या के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की स्थिति भिन्न है।

2.6.5 चयनित जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह से पूर्व स्त्रीधन की निर्धारित प्रतिशत राशि डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करवाने बाबत जानकारी करने पर चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर के अधिकारियों ने स्त्रीधन की निर्धारित राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए संस्थाओं द्वारा डाकघर/बैंक में जमा करवाना अवगत करवाया है जबकि कोटा जिला के अधिकारी ने उक्त स्त्रीधन की राशि स्वयं विभाग/कार्यालय स्तर से जमा करवाना बताया है। उदयपुर के अधिकारी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः कोटा स्थित संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन की सावधि राशि जमा नहीं करवाने सम्बन्धी कारणों की जानकारी विभाग स्तर से की जानी चाहिए।

2.6.6 चयनित जिलों के अधिकारियों से देय अनुदान राशि की पर्याप्तता सम्बन्धी जानकारी करने पर कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर के अधिकारियों ने देय अनुदान राशि अपर्याप्त बताई है जबकि उदयपुर के अधिकारी ने अनुदान राशि पर्याप्त होना अवगत करवाया है।

2.7 चयनित संस्थाओं की स्थिति :

2.7.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों यथा– कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जोधपुर में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में 34 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 931 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया है एवं राज्य सरकार ने नियमानुसार उन संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध करवाई है। अध्ययन हेतु चयनित जिलों में कार्यरत 11

स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन कर इनकी भौतिक एवं वित्तीय स्थिति के साथ ही योजना के अन्य पहलुओं की जानकारी की गई है। चयनित जिलों की चयनित संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित संस्थाओं की संख्या	चयनित संस्थाओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	कोटा	2	1. राजस्थान सैन समाज कल्याण समिति, कोटा	344 / 84–85
			2. जमीलतुल कुरैश विकास समिति, कोटा	50 / 2000–01
2.	चित्तौड़गढ़	4	1. मैढ क्षत्रीय स्वर्णकार समाज, चित्तौड़गढ़	49 / 97–98
			2. विश्वकर्मा चैरिटेबल एण्ड ऐजुकेशन ट्रस्ट, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़	61 / 500 / 1984–85
			3. कुमावत सामाजिक संगठन, रानीखेडा(निम्बाहेडा), चित्तौड़गढ़	3154 / 2005–06
			4. मेवाड़ा कुमावत क्षत्रीय सामाजिक संगठन (निम्बाहेडा) चित्तौड़गढ़	7 / 98–99
3.	उदयपुर	3	1. झूलेलाल सेवा समिति, उदयपुर	55 / 2002–03
			2. महर्षि वाल्मिकी हरिजन विकास समिति, उदयपुर	232 / 2003–04
			3. तैलिक साहू समाज पंच महासभा, उदयपुर	144 / 2000–01
4.	जोधपुर	2	1. कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर	125 / 2003–04
			2. रावणा राजपूत युवा संस्थान, जोधपुर	201 / 2003–04

2.7.2 राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह अनुदान की पात्रता हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम जोड़ों की संख्या एवं अनुदान राशि की सीमा निर्धारित की हुई है। इसके अन्तर्गत प्रति जोड़ा पांच हजार की निर्धारित राशि में से 75 प्रतिशत स्त्रीधन के लिए एवं 25 प्रतिशत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने वाली संस्थाओं को आयोजन पेटे में अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इन संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत सोसायटी/संस्था के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। उपरोक्त चयनित की गई संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चयनित जिलों की सभी चयनित संस्थाऐं पंजीकृत पाई गई। इन संस्थाओं का पंजीयन वर्ष 1984–85 से 2005–06 तक की अवधि में किया गया है। संस्थाओं के कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी करने पर इन संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अपने अपने जिलों तक सीमित होना बताया है।

2.8 सामूहिक विवाह हेतु संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या :

2.8.1 चयनित संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक वर एवं वधू पक्ष द्वारा जोड़ों के सामूहिक विवाह हेतु चयनित संस्थाओं को प्रस्तुत आवेदन पत्रों की वर्षवार संख्या निम्न सारणी में दी गई है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित संस्थाओं की संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	सामूहिक विवाह हेतु योग्य जोड़ों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	सम्पन्न कराये गये विवाहित जोड़ों की संख्या
1.	कोटा	2	2003–04	72	72	72	–	72
			2004–05	96	96	96	–	96
			2005–06	107	107	107	–	107
2.	चित्तौड़गढ़	4	2003–04	104	104	104	–	104
			2004–05	–	–	–	–	–
			2005–06	56	56	56	–	56
3.	उदयपुर	3	2003–04	81	81	81	–	81
			2004–05	74	74	73	1	73
			2005–06	127	127	127	–	127
4.	जोधपुर	2	2003–04	28	28	27	1	27
			2004–05	11	11	11	–	11
			2005–06	58	58	55	3	55
	योग	11		814 (100.0)	814 (100.0)	809 (99.39)	5 (0.61)	809 (100.0)

2.8.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं को संदर्भित अवधि में वर एवं वधू पक्ष से कुल 814 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। संस्थाओं द्वारा प्राप्त उक्त आवेदन पत्रों में से 809(99.39 प्रतिशत) जोड़ों की विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5(0.61 प्रतिशत) आवेदन पत्रों की अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्वीकृत 809 जोड़ों के आवेदन पत्रों के अनुसार सामूहिक विवाह समारोहों में उन जोड़ों को परस्पर विवाह परिणय सूत्र में बांध दिया गया।

2.8.3 संस्थाओं के स्तर से जिन 5(0.61 प्रतिशत) जोड़ों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये थे, उनके कारणों की जानकारी करने पर चयनित संस्थाओं ने बताया कि एक जोड़े की उम्र कम होने एवं वर–वधू के गौत्र समान होने के कारण आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया गया जबकि 2 जोड़ों के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने एवं 2 जोड़ों के परिवार द्वारा स्वयं के स्तर से विवाह का आयोजन करने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये।

2.9 जोड़ों की व्यवस्था एवं विभिन्न वर्गों की भागीदारी :

2.9.1 अध्ययन हेतु चयनित की गई संस्थाओं से यह जानकारी करने पर कि उनकी संस्था सामूहिक विवाह हेतु विवाह योग्य जोड़ों की व्यवस्था किस प्रकार की गई/की जाती है? तत्सम्बन्ध में चयनित की गई 11 संस्थाओं में से 7 संस्थाओं के स्तर से अवगत करवाया गया कि विवाह योग्य जोड़ों की व्यवस्था उनकी संस्था समाचार पत्रों एवं पोस्टर्स, हैण्ड बिल्स, पम्पलेट्स आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार करने के साथ ही जातिगत समाज के लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर विवाह योग्य जोड़ों की व्यवस्था करते हैं जबकि शेष 4 संस्थाओं ने जानकारी दी कि उनकी संस्था प्रतिवर्ष अपनी जाति/समाज के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करती है जिससे विवाह योग्य युवक–युवतियों का पंजीयन/आवेदन पत्र स्वतः ही प्राप्त हो जाते है, अतः संस्थाओं द्वारा जातिगत समाज से जुड़े होने व्यक्तिगत जनसम्पर्क करने एवं प्रचार–प्रसार तथा संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाहों का आयोजन करने से विवाह योग्य जोड़ों की व्यवस्था की जाती है।

2.9.2 सामूहिक विवाहों में किस स्तर के परिवारों की सहभागिता रहती है, के सम्बन्ध में चयनित संस्थाओं से जानकारी करने पर चयनित संस्थाओं में से 4 संस्थाओं ने सभी स्तर के परिवारों यथा धनाढ्य, मध्यम, गरीब एवं अत्यन्त गरीब परिवारों की सामूहिक विवाह में सहभागिता रहना अवगत करवाया है जबकि 3 संस्थाओं ने गरीब एवं अत्यन्त गरीब परिवार के लोगों की एवं 2 संस्थाओं ने मध्यम वर्ग के परिवारों की तथा 2 संस्थाओं ने धनाढ्य एवं मध्यम वर्ग के परिवारों की भागीदारी होना अवगत करवाया है।

2.9.3 अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं के स्तर से यह जानकारी की गई कि उनकी संस्था किस जाति समाज के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया गया है/करवाया जाता है? तत्सम्बन्ध में चयनित सभी संस्थाओं के स्तर से निम्नांकित जाति, समाज के वर्गों का सामूहिक विवाह करवाना अवगत करवाया है :–

(i) कुमावत/कुम्हार (ii) कुरैशी(कसाई) (iii) स्वर्णकार
(iv) स्वच्छकार (v) सिन्धी (vi) रावणा राजपूत
(vii) तेली(साहू)।

2.10 विवाहित जोड़ों की जाति, आयु, अन्तर्जातिय एवं बाल विवाह तथा शैक्षणिक स्तर :

2.10.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में चयनित की गई स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की संदर्भ अवधि में सम्पन्न हुए सामूहिक विवाहों के अन्तर्गत 809 युवक–युवतियों को विवाह सूत्र में बांधा गया था। अतः उक्त संदर्भित अवधि में सम्पन्न सामूहिक विवाहों से लाभान्वित दम्पतियों/जोड़ों की जाति, आयु एवं शैक्षणिक स्तर की जानकारी हेतु चयनित संस्थाओं के स्तर से संकलित सूचनाओं के आधार पर यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों में किस जाति, आयु एवं शैक्षणिक स्तर के जोड़ों की भागीदारी रही है एवं अन्तर्जातीय तथा बाल विवाहों की क्या स्थिति रही है ?

2.11 जाति एवं आयु :

2.11.1 चयनित संस्थओं द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में सम्पन्न कराये सामूहिक विवाहों में विवाहित जोड़ों की जाति एवं आयु सम्बन्धी विवरण निम्न सारणियों में दर्शाया गया है :–

जाति

जोड़ों का जाति विवरण			
विवाहित जोड़ों की जाति/श्रेणी		विवाहित जोड़ों की संख्या	
		वर	वधू
1.	अनुसूचित जाति	37 (4.58)	37(4.58)
2.	अनुसूचित जनजाति	–	–
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	674 (83.31)	674(83.31)
4.	सामान्य जाति	98 (12.11)	98 (12.11)
5.	अन्य वर्ग	–	–
	योग	**809 (100.00)**	**809 (100.00)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

आयु

जोड़ों की आयु का विवरण		
विवाहित जोड़ों की आयु (वर्षों में)	विवाहित जोड़ों की संख्या	
	वर	वधू
6 से 14	–	–
15 से 17	–	–
18 से 20	39 (4.82)	522 (64.52)
21 से 25	587 (72.56)	234 (28.93)
25 से अधिक	156 (19.28)	24 (2.97)
सूचना उपलब्ध नहीं	27 (3.34)	29 (3.58)
योग	**809**	**809**

2.11.2 जाति वर्ग की उपरोक्त तालिका से जानकारी मिलती है कि चयनित संस्थाओं द्वारा संदर्भित अवधि में सम्पन्न सामूहिक विवाहों में सर्वाधिक 674(83.31 प्रतिशत) जोड़े अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों से थे एवं 98(12.11 प्रतिशत) जोड़े सामान्य जाति से थे जबकि 37(4.58 प्रतिशत) जोड़े अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जनजाति का कोई जोड़ा नहीं था। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक विवाहों में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की सर्वाधिक भागीदारी रही है। उक्त सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि सामूहिक विवाह में किसी भी जोड़े ने अन्तर्जातीय विवाह नहीं किया है तथा जोड़ों ने अपनी ही जाति समाज में विवाह करने की प्राथमिकता प्रदान कर सामाजिक रीति रिवाज एवं मान्यताओं को स्वीकार किया है।

2.11.3 आयु वर्ग की उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संदर्भित अवधि में सम्पन्न हुए सामूहिक विवाहों में किसी भी जोड़े का विवाह 6 से 17 वर्ष की आयु में नहीं हुआ अर्थात् कोई भी जोड़ा अवयस्क नहीं था। 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग में 39(4.82 प्रतिशत) वर एवं 522(64.52 प्रतिशत) वधुऐं थी। सामूहिक विवाह अनुदान नियम/शर्तों के अनुसार विवाह योग्य जोड़ों में लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं लड़की आयु 18 वर्ष निर्धारित है जबकि चयनित संस्थाओं द्वारा आयोजित विवाह में 39 वर ऐसे हैं जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष की है। उदयपुर स्थित 2 संस्थाओं महर्षि वाल्मिकी हरिजन समाज संस्था ने 37 वर एवं झूले लाल सेवा समिति ने 2 वरों का विवाह निर्धारित आयु सीमा से कम आयु में सम्पन्न करवाया है। अतः विभाग स्तर से उक्त संस्थाओं से वर–वधू की आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की जानकारी की जानी चाहिए। 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के 587(72.56 प्रतिशत) वर एवं 234(28.93 प्रतिशत) वधुऐं थी जबकि 25 से अधिक के आयु वर्ग में 156(19.28 प्रतिशत) वर एवं 24(2.97 प्रतिशत) वधुओं का विवाह सम्पन्न हुआ था। 27(3.34 प्रतिशत) वर एवं 29 (3.58 प्रतिशत) वधुओं की आयु सम्बन्धी सूचना जोधपुर स्थित चयनित कुम्हार कल्याण संस्था ने अभिलेखों के संधारित नहीं होने के कारण उपलब्ध नही करवाई है।

2.11.4 चयनित संस्थाओं द्वारा संदर्भित वर्षों में सम्पन्न सामूहिक विवाहों के अन्तर्गत कुल 809 विवाहित जोड़ों में 680(42.03 प्रतिशत) वर–वधू प्राथमिक/मिडिल स्तर तक, 378(23.36 प्रतिशत) वर–वधू सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्तर तक शिक्षित थे एवं 172(10.63 प्रतिशत) वर–वधू स्नातक तथा 51(3.15 प्रतिशत) वर–वधू स्नातकोत्तर योग्यताधारी थे तथा 210(12.98 प्रतिशत) वर–वधू साक्षर थे जबकि 65(4.02 प्रतिशत) वर–वधू निरक्षर थे। जोधपुर स्थित एक संस्था ने 62(3.83 प्रतिशत) वर–वधुओं के शैक्षणिक स्तर की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। अतः उपरोक्त वर–वधुओं के शैक्षणिक स्तर की सूचना से ज्ञात होता है कि अपवाद स्वरूप कुछ जोड़ों को छोड़कर सभी वर–वधू साक्षर एवं शिक्षित थे।

2.12 चयनित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति :

2.12.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में 11 स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन किया जाकर उनकी वित्तीय स्थिति एवं प्रबन्धन की जानकारी प्राप्त की गई है। चयनित की गई संस्थाओं के स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में चयनित संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि तथा सामूहिक विवाहों के अवसर पर व्यय की गई राशि की सूचनाऐं निम्न सारणी के अनुसार रही है :–

आय व्यय की स्थिति

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित संस्थाओं की संख्या	2003–04			2004–05			2005–06			कुल योग	
			राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य स्रोतों से प्राप्त	व्यय राशि	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य स्रोतों से प्राप्त	व्यय राशि	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य स्रोतों से प्राप्त	व्यय राशि	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि
1.	कोटा	2	–	11.52	11.65	0.28	15.98	16.44	1.50	18.39	20.04	47.67	48.13
2.	चित्तौड़गढ़	4	0.50	1.00	1.50	–	–	–	2.70	6.52	10.15	10.72	11.65
3.	उदयपुर	3	0.86	19.08	15.28	2.00	17.40	15.31	2.37	25.85	29.63	67.56	60.22
4.	जोधपुर	2	–	9.82	7.22	0.21	5.78	4.52	–	19.07	19.27	34.88	31.01
	योग	11	1.36	41.42	35.65	2.49	39.16	36.27	6.57	69.83	79.09	160.83	151.01

2.12.2 उपरोक्त सारणी में चयनित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई आय एवं व्यय से सम्बन्धित सूचनाओं के विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं क्रमशः

(i) अध्ययन के संदर्भित वर्षों में चयनित संस्थाओं की प्राप्त आय में 10.42(6.48 प्रतिशत) लाख रूपये की अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है जबकि 150.41(93.52 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि चयनित संस्थाओं ने अपने स्तर से विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त की है। उदयपुर स्थित चयनित संस्थाओं ने सर्वाधिक 5.23 लाख रूपये की अनुदान राशि राज्य सरकार से प्राप्त की है जबकि जोधपुर स्थित संस्थाओं ने मात्र 0.21 लाख रूपये की राशि ही प्राप्त की है, जिसका कारण जिला स्तरीय योजना क्रियान्वयन कार्यालय में प्रावधान/बजट राशि उपलब्ध नहीं होना बताया गया। उदयपुर स्थित चयनित संस्था झूले लाल सेवा समिति ने वर्ष 2004–05 में 1,00,000 रूपये की अनुदान राशि राज्य सरकार से प्राप्त करना अभिलिखित किया है किन्तु जिला स्तरीय क्रियान्वयन विभाग ने उक्त वर्ष में इस समिति को अनुदान राशि नहीं दिया जाना बताया है। इसी जिले की चयनित संस्था तैलिक साहू समाज ने वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 0.36, 1.00 तथा 1.00 कुल 2.36 लाख रूपये का अनुदान संदर्भित वर्षों में प्राप्त करना बताया है किन्तु परिशिष्ट–III में उक्त संस्था को 2.36 लाख रूपये का अनुदान वर्ष 2005–06 में दिया जाना अवगत करवाया है। अतः उक्त विरोधाभाषी तथ्यों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जाना चाहिए।

(ii) जिला कोटा की चयनित संस्थाओं ने अपनी आय से अधिक राशि का व्यय प्रत्येक संदर्भित वर्ष में लगातार किया है जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित संस्थाओं द्वारा वर्ष 2003–04 में कुल अर्जित आय के बराबर एवं वर्ष 2005–06 में अधिक राशि व्यय की गई है। वर्ष 2004–05 में चित्तौड़गढ़ जिले की संस्थाओं ने कोई आय एवं अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(iii) जिला जोधपुर एवं उदयपुर में स्थित चयनित संस्थाओं द्वारा अपनी कुल आय के विपरीत लगभग 90 प्रतिशत राशि सामूहिक विवाहों पर व्यय की गई है।

2.12.3 अतः अध्ययन हेतु चयनित 5 जिलों की 11 चयनित संस्थाओं के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अलग अलग जिलों में आय एवं व्यय की स्थिति भिन्न है। कुछ जिलों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय आय की तुलना में कम है तो कुछ जिलों में आय से अधिक व्यय किया गया है।

2.12.4 **धन राशि की व्यवस्था एवं पंजीयन शुल्क :**

सामूहिक विवाह हेतु प्रति जोड़ा पंजीयन राशि के निर्धारण एवं प्राप्त की जाने वाली राशि के बारे में जानकारी करने पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक संस्था द्वारा पंजीयन राशि का निर्धारण नहीं किया जाना बताया है एवं शेष 10 संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह हेतु पंजीयन राशि निर्धारित होना अवगत करवाया है। इनमें कोटा स्थित संस्थाओं द्वारा 14 से 18 हजार रूपये प्रति जोडा एवं उदयपुर जिलें में स्थित संस्थाओं द्वारा वर पक्ष से 5,000 से 6,000 रूपये एवं वधू पक्ष से 11 से 21000 रूपये की पंजीयन राशि प्राप्त करना अवगत करवाया है। जोधपुर जिलें में स्थित एक संस्था द्वारा पंजीयन शुल्क के लिए 1000 रूपये एवं वर वधू सहयोग राशि के रूप में 23,000 रूपये निर्धारित किये हुए हैं जबकि एक अन्य संस्था द्वारा प्रत्येक (वर–वधू) से 20,000 रूपये की पंजीयन राशि निर्धारित की हुई है, चित्तौड़गढ़ जिले की संस्थाओं द्वारा 3,000 से 5,500 रूपये पंजीयन शुल्क के रूप में लिया जाना अवगत करवाया है। अतः पृथक–पृथक जिलों की संस्थाओं ने अपने–अपने समाज के वर्गों एवं संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार राशि का निर्धारण किया हुआ है।

2.12.5 चयनित संस्थाओं से सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था हो पाती है या नहीं, की जानकारी करने पर 4(36.36 प्रतिशत) संस्थाओं ने वांछित धनराशि की व्यवस्था होना एवं 7(63.64 प्रतिशत) ने वांछित धनराशि की व्यवस्था नहीं होना अवगत करवाया है। इन संस्थाओं से जब यह पूछा गया कि फिर यह व्यवस्था कैसे एवं किस प्रकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में 5 संस्थाओं ने संस्था के कोष से एवं संस्था के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा परस्पर राशि उपलब्ध करवाना बताया है जबकि 2 संस्थाओं ने समाज एवं अन्य दानदाताओं से राशि एकत्रित कर व्ययों की पूर्ति हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था करने की जानकारी दी है।

2.12.6 संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि को कहां रखे जाने सम्बन्धी जानकारी करने पर 8 संस्थाओं ने प्राप्त धनराशि को बैंक में एवं 3 संस्थाओं ने बैंक एवं संस्था के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के पास रखा जाना अवगत कराया है।

2.13 अनुदान राशि की पर्याप्तता :

2.13.1 अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं से सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति जोड़ा एवं संस्था को देय अनुदान राशि एवं प्रतिशत की जानकारी संकलित करने पर सभी 11(शत–प्रतिशत) चयनित संस्थाओं ने अगस्त,2004 से पूर्व एक हजार रूपये की शत–प्रतिशत प्रति जोडा अनुदान राशि संस्था स्तर पर ही देय होना अवगत करवाया है एवं अगस्त,2004 के पश्चात् प्रति जोड़ा की कुल देय पांच हजार रूपये की राशि में से 3750(75 प्रतिशत) रूपये प्रति जोड़ा स्त्रीधन के लिए एवं 1250 (25 प्रतिशत) प्रति जोड़ा संस्था को विवाह आयोजन पेटे पर अनुदान राशि की जानकारी से अवगत करवाया है।

2.13.2 अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं से राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि की पर्याप्तता सम्बन्धी जानकारी करने पर सभी शत–प्रतिशत संस्थाओं ने देय अनुदान राशि अपर्याप्त बतायी है तथा अनुदान राशि की अपर्याप्त सम्बन्धी कारणों की पूछताछ करने पर संस्था द्वारा निम्न कारण –तथ्य प्रस्तुत किए हैं :–

(क) समाज में गरीबी के कारण गरीब परिवारों के व्यक्ति अपने विवाह योग्य बाल–बालिकाओं का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में करवाना अधिक पसन्द करते हैं। सामूहिक विवाहों के आयोजनों पर विभिन्न मदों पर संस्था द्वारा अनेक व्यय करने होते हैं। औसतन प्रति जोड़े पर 30 से 35 हजार का व्यय होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा देय स्त्रीधन एवं संस्था स्तर पर दी जाने वाली सहायता/अनुदान राशि बहुत कम है। बढ़ती हुई महंगाई मुद्रा स्फिती व्यय प्रणाली शान–शौकत एवं आवश्यक प्रबन्धन व्यवस्था को देखते हुए प्राप्त अनुदान राशि बहुत कम है। संस्था को प्रबन्धन व्यवस्था के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र एवं सामान आदि पर यथेष्ठ धन व्यय करना होता है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में अनुदान राशि एवं जोड़ों की अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है परन्तु अधिक जोड़ों के विवाह करवाने पर संस्थाओं को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है जबकि सामूहिक विवाहों पर संस्था द्वारा खर्चा अधिक किया जाता है।

(ग) अनुदान राशि प्रति जोड़ा बहुत कम होने से संस्था स्तर पर काफी कठिनाई उठानी पड़ती है एवं राशि की वैकल्पिक व्यवस्था करके सम्मानपूर्वक विवाहों का आयोजन किया जाता है।

2.14 स्त्री धन का संग्रहण :

2.14.1 अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं से राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि की 75 प्रतिशत (स्त्रीधन) राशि वधू के पक्ष में उनकी संस्था द्वारा विवाह सम्पन्न होने से पूर्व या विवाह सम्पन्न होने के बाद जमा करवाने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने पर, 6(54.55 प्रतिशत) संस्थाओं ने विवाह सम्पन्न होने से पूर्व एवं 2(18.18 प्रतिशत) संस्थाओं ने विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् वधू के पक्ष में सावधि जमा करवाना अवगत करवाया है जबकि 1(9.09 प्रतिशत) संस्था ने अनुदान से प्राप्त राशि वधुओं को नगद उपलब्ध करवाने की जानकारी दी है एवं 2 (18.18 प्रतिशत) संस्थाओं ने उनके द्वारा सम्पन्न सामूहिक विवाह की अवधि के दौरान जमा करवाने का प्रावधान/शर्त लागू नहीं होना अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2003–04 में केवल संस्थाओं को ही शत–प्रतिशत प्रति जोड़ा अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक विवाह अनुदान नियमों की शर्तों के अनुसार केवल 6 संस्थाओं ने ही पालना की है। कोटा जिले में स्थित 2 एवं उदयपुर जिले में स्थित 1 संस्था द्वारा विवाह से पूर्व स्त्रीधन सावधि जमा राशि जमा नहीं करवाने सम्बन्धी शर्तों की पालना नहीं करने का परीक्षण कार्यकारी विभाग स्तर पर अपेक्षित है।

2.14.2 सावधि जमा राशि कहाँ एवं कितनी अवधि की जमा करवाने सम्बन्धी जानकारी करने पर 3 संस्थाओं ने 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए डाकघर में एवं 5 संस्थाओं ने 3 से 8 वर्ष तक के लिए बैंक में सावधि राशि जमा करवाना अवगत करवाया है जबकि उदयपुर स्थित एक संस्था ने स्त्रीधन की देय अनुदान राशि जमा नहीं करवाकर वधुओं को नगद दिये जाने की जानकारी उपलब्ध करवाई है तथा 2 संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन के देय अनुदान राशि का प्रावधान/शर्त लागू नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं करवाई है। अतः उदयपुर स्थित संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन की राशि वधू के पक्ष में जमा नहीं करवाने सम्बन्धी जानकारी विभाग स्तर से की जावे।

2.14.3 सामूहिक विवाह सम्पन्न होने के बाद उन्हें अनुदान राशि समय पर प्राप्त होती है या नहीं, की जानकारी करने पर 9 (81.82 प्रतिशत) संस्थाओं ने अनुदान राशि समय पर प्राप्त होना एवं 2(18.18 प्रतिशत) ने समय पर प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया है।

2.14.4 जिन संस्थाओं ने अनुदान राशि समय पर प्राप्त होना अवगत करवाया है, उनसे यह अनुदान राशि सामूहिक विवाह सम्पन्न होने के कितने दिन/माह बाद प्राप्त होने की जानकारी करने पर 3 संस्थाओं ने एक से दो माह एवं 6 संस्थाओं ने दो से तीन माह की अवधि में प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध करवाई है जिन 2 संस्थाओं ने अनुदान राशि समय पर प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया है। उन्होंने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में बजट की अनुपलब्धता एवं संस्था स्तर से जोड़ों के आयु प्रमाण–पत्र समय पर एकत्रित कर प्रस्तुत नहीं करना बताया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि योजनान्तर्गत राशि समय पर उपलब्ध करवाई जावे।

2.15 लेखों का संधारण एवं अंकेक्षण :

2.15.1 अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं से लेखों का संधारण किये जाने की जानकारी करने पर सभी शत–प्रतिशत संस्थाओं ने संस्था स्तर से लेखों का संधारण किया जाना अवगत करवाया है।

2.15.2 चयनित संस्थाओं से उनके लेखों का वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक के वर्षों का अंकेक्षण एवं आक्षेपों की पूर्ति करने की जानकारी करने पर 6 संस्थाओं ने संदर्भित वर्षों के लेखों का अंकेक्षण करवाने एवं उन पर किये गये आक्षेपों की पूर्ति किये जाने की जानकारी दी है जबकि 4 संस्थाओं ने संदर्भित वर्षों का अंकेक्षण नहीं करवाना बतलाया है। एक संस्था का पंजीयन संदर्भित वर्षों के अन्तिम वर्ष (2005–06) में ही होने के कारण नहीं करवाया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लगभग 45 प्रतिशत चयनित संस्थाओं द्वारा अपने लेखा का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंजीकृत संस्थाओं को अपने लेखों का अंकेक्षण पंजीकृत सनदी लेखाकार से नियमित रूप से करवाया जाना चाहिए।

———

अध्याय तृतीय

अध्ययन निष्कर्ष

3.1 प्रतिदर्श विवरण :

3.1.1 'विवाह' मानव जीवन का एक अतिमहत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार माना गया है। विभिन्न सम्प्रदायों एवं समुदायों में विवाह की रीतियाँ एवं पद्धतियाँ भिन्न–भिन्न हो सकती है किन्तु उद्देश्य सभी का एक होता है जिसके अन्तर्गत विवाह के पश्चात् स्त्री–पुरूष के संसर्ग को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है।

3.1.2 भारतीय संस्कृति में मंगलमय भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में विद्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान एवं धनदान के साथ–साथ कन्यादान भी प्रमुख दान माना गया है। दरवाजे पर सजे बंदनवार, ढोलक की थाप पर गूँजते मंगल गीत, हंसी ठिठोली से जीवन्त होता घर, मान–मनुहार और प्रेम पगा आतिथ्य सत्कार आदि पहले यही तो प्रधान धार्मिक एवं उत्सव कार्य होते थे। जीवन में भौतिकवाद के प्रसार से धीरे–धीरे बदलते समय के साथ विवाह एक संस्कार नहीं अपितु एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन हो गया है। जहाँ प्रतिष्ठा, नाम, शान और दाम दांव पर लगे रहते हैं, परन्तु आर्थिक क्षेत्र में गति नहीं पकड़ने से कालान्तर में कन्या का विवाह निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए एक आर्थिक बोझ सा बन गया है। अतः समाज में फैली इन विषमताओं एवं विवाह समारोहों पर अनावश्यक व्ययों/फिजूलखर्ची की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप समाजिक संगठनों, समाज की पंचायतों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं ने चिन्तन करना प्रारम्भ कर समाज में सामूहिक विवाहों का आयोजन करना प्रारम्भ कर दिया ताकि विवाह समारोह पर होने वाले अनावश्यक व्ययों/फिजूलखर्चों की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को आर्थिक भार से बचाया जा सके। स्वैच्छिक संस्थओं/संगठनों के इन प्रयासों को राज्य सरकार भी सामूहिक विवाह अनुदान नियमों का निर्माण कर सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं एवं विवाहित जोड़ों को (विवाहित स्त्रीधन हेतु) अनुदान उपलब्ध करवाकर प्रोत्साहित कर रही है।

3.1.3 सामूहिक विवाह अनुदान योजना कार्यक्रम का मूल्यांकन न्यादर्श विधियों का उपयोग करते हुए निम्न प्रतिदर्श का चयन किया गया है :–

चयनित प्रतिदर्श

(1)	चयनित जिलों की संख्या	04
(2)	चयनित जिलों में सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली चयनित पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या	11
(3)	लाभान्वित चयनित जोड़ों/दम्पत्तियों की संख्या	80
(4)	कार्यकारियों की संख्या	38

3.1.4 अध्ययन हेतु चयनित प्रतिदर्श के उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं, सामूहिक विवाह से लाभान्वित जोड़ों, दम्पत्तियों को मिले लाभों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के स्तर से सम्पन्न सामूहिक विवाहों की उपयोगिता तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों आदि के बारे में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा गहन विचार–विमर्श व अवलोकन उपरान्त एकत्रित की गई सूचनाओं के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर यह प्रतिवेदन में तैयार किया गया है।

3.2 जाति वर्ग के आधार पर चयनित जोड़ों का विवरण :

3.2.1 सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत चयनित जोड़ों/दम्पत्तियों की जाति वर्ग के आधार पर विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

जाति वर्ग के आधार पर जोड़ों/दम्पतियों की संख्या

क्र. सं.	जाति/श्रेणी	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या			
		वर	वधू	योग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	3 (3.75)	3 (3.75)	6	3.75
2.	अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	71 (88.75)	71 (88.75)	142	88.75
4.	सामान्य जाति	6 (7.50)	6 (7.50)	12	7.50
5.	अन्य	–	–	–	–
	योग	80 (100.0)	80 (100.0)	160	100.00

3.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि :–

(i) चयनित उत्तरदाता दम्पत्ति/जोड़ों में 3.75 प्रतिशत वर–वधू अनुसूचित जाति, एवं 7.50 प्रतिशत दम्पत्ति/वर–वधू सामान्य जाति एवं 88.75 प्रतिशत जोड़े/वर–वधू अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जाति वर्ग के कोई दम्पत्ति/वर–वधू नहीं है। चयनित जिलों में आयोजित सामूहिक विवाहों में किसी भी जोड़े ने अन्तर्जातीय विवाह नहीं किया है एवं सभी उत्तरदाता वर–वधुओं के अपने ही जाति समाज में विवाह को प्राथमिकता देकर अपने समाज, जाति एवं परिवार की मान्यताओं को स्वीकार किया है।

(ii) उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता है कि चयनित जिलों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा जातिगत समाज के ही युवक–युवतियों के सामूहिक विवाह आयोजित करवाती है एवं संस्थाओं के नाम भी जाति सूचक से प्रारम्भ होते हैं।

(iii) चयनित संस्थाओं द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि उनकी संस्थाओं द्वारा अन्तर्जातीय विवाह के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाते हैं अतः स्पष्ट है कि सामूहिक विवाहों में केवल जातिगत युवक–युवतियों का ही सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाया जाता है।

3.3. **आयु :**

3.3.1 अध्ययन हेतु चयनित जोड़ा/दम्पत्ति उत्तरदाताओं से उनके विवाह के समय उनकी आयु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी, जिनका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

आयु (वर्षों में)	चयनित जोड़ों की संख्या		
	वर	वधू	योग
6 से 18 से कम	–	–	–
18 से 20	–	48(60.00)	48
21 से 25	67(83.75)	28(35.00)	95
26 एवं इससे अधिक	13(16.25)	4(5.00)	17
योग	**80 (100.0)**	**80 (100.0)**	**160**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

3.3.2 उपरोक्त आयु सम्बन्धी सारणी के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि विवाह के दौरान चयनित उत्तरदाता जोड़ों में 83.75 प्रतिशत वर की आयु 21 से 25 वर्ष एवं 16.25 प्रतिशत वर की आयु 26 एवं इससे अधिक की थी। 18 से 20 वर्ष की आयु का कोई वर नहीं था। जबकि 18 से 20 वर्ष की आयु में 60.00 प्रतिशत वधुऐं थी एवं 35.00 प्रतिशत वधुओं की आयु 21 से 25 वर्ष तथा 5.00 प्रतिशत वधुओं का विवाह 26 एवं इससे अधिक की आयु में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि उत्तरदाता जोड़ों का सामूहिक विवाह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा में ही सम्पन्न हुआ है एवं सामूहिक विवाहों से बाल विवाहों की रोकथाम हुई है।

3.3.3 उपरोक्त आयु सम्बन्धी सारणी के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत वधु उत्तरदाताओं का विवाह उनकी 18 से 20 वर्ष की आयु के दौरान ही किया गया था जो इस बात का द्योतक है कि विभिन्न जाति/समाज एवं परिवार के व्यक्ति अपनी लड़कियों को अधिक आयु तक अविवाहित नहीं रखना चाहते हैं एवं अपनी पारिवारिक/सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने के प्रयास करते हैं।

3.4 शैक्षणिक स्तर :

3.4.1 अध्ययन हेतु चयनित जोड़ों एवं सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर की संकलित सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

चयनित जोड़े/दम्पत्तियों एवं कार्यकारी उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	चयनित जोड़ों/दम्पत्ति उत्तरदाताओं की संख्या				चयनित कार्यकारी उत्तरदाताओं की संख्या	
	वर	वधू	योग	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	–	2	2	1.25	–	–
साक्षर	1	7	8	5.00	1	2.63
प्राथमिक/मिडिल	40	51	91	56.88	3	7.90
सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी	33	16	49	30.62	8	21.06
स्नातक	5	4	9	5.62	15	39.47
स्नातकोत्तर	1	–	1	0.63	11	28.94
योग	**80**	**80**	**160 (100.0)**	–	**38 (100.0)**	–

3.4.2 उपरोक्त सारणी में दी गई जानकारी से ज्ञात होता है कि अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता जोड़ों में 1.25 प्रतिशत वधू उत्तरदाता को छोड़कर समस्त वर–वधू उत्तरदाता साक्षर एवं शिक्षित है उनमें सर्वाधिक 56.88 प्रतिशत वर–वधू प्राथमिक/मिडिल स्तर तक, 30.62 प्रतिशत सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्तर तक, 6.25 प्रतिशत वर–वधू स्नातक/स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यताधारी है जबकि 5.00 प्रतिशत उत्तरदाता वर–वधू साक्षर है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुछ अपवाद स्वरूप जोड़ों को छोड़कर 98.75 प्रतिशत चयनित उत्तरदाता जोड़े/दम्पत्ति साक्षर एवं शिक्षित है। इससे स्पष्ट होता है कि गरीब एवं पिछड़े समाज में भी शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है।

3.4.3 अध्ययन हेतु सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिन 38 चयनित सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों/कार्यकारियों से जानकारी की गई है, उनमें सर्वाधिक 39.47 प्रतिशत स्नातक एवं 28.94 प्रतिशत स्नातकोत्तर/अन्य शैक्षणिक योग्यताधारी है जबकि 21.06 प्रतिशत सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्तर तक के एवं 7.90 प्रतिशत प्राथमिक/मिडिल स्तर तक शिक्षित है तथा 2.63 कार्यकारी अध्ययन हेतु साक्षर है। अतः स्पष्ट है कि कोई भी कार्यकारी निरक्षर नहीं है।

3.4.4 जिन 38 कार्यकारी अधिकारियों से कार्यक्रम के बारे में जानकारी की गई है उनमें 7(18.42 प्रतिशत) को 5 वर्ष, 7(18.42 प्रतिशत) को 6 से 10 वर्ष एवं 3(7.90 प्रतिशत) को 11 से 15 वर्ष, 11(28.95 प्रतिशत) को 16 से 20 वर्ष तथा 2(5.26 प्रतिशत) को 21 से 25 वर्ष व 6(15.79 प्रतिशत) को 25 वर्ष से अधिक की अवधि तक अपने पद सम्बन्धी कार्यों का अनुभव रहा है। शेष 2(5.26 प्रतिशत) के प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3.5 उत्तरदाता दम्पत्ति परिवारों की वार्षिक आय :

3.5.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित दम्पत्ति/जोड़ों से व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनके परिवारों की अनुमानित वार्षिक आय की जानकारी कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ज्ञात किया गया है। वर–वधू पक्ष के परिवारों की वार्षिक आय की औसत गणना करने पर उनकी औसत वार्षिक आय को निम्न सारणी में अवलोकन हेतु दर्शाया गया है :–

जोड़ों/दम्पत्तियों के परिवारों की औसत वार्षिक आय

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता जोड़ों की संख्या	वर पक्ष की आय		वधू पक्ष की आय	
			चयनित जोड़ों के परिवारों की कुल अनुमानित वार्षिक आय(लाख रूपये में)	औसत वार्षिक आय (रूपये में)	चयनित जोड़ों के परिवारों की कुल अनुमानित वार्षिक आय(लाख रूपये में)	औसत वार्षिक आय (रूपये में)
1.	कोटा	20	11.42	57,100	11.04	55,200
2.	चित्तौड़गढ़	20	7.42	37,100	7.39	36,950
3.	उदयपुर	20	12.91	64,550	11.65	58,250
4.	जोधपुर	20	17.41	87,050	15.69	78,450
	योग	**80**	**49.16**	**61,450**	**45.77**	**57,212**

3.5.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि चयनित जिलों में चयनित 80 उत्तरदाता जोड़ों के परिवारों की कुल औसत वार्षिक आय में वर पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय 61,450 रूपये है एवं वधू पक्ष की औसत वार्षिक आय 57,212 रूपये है जो वर पक्ष की तुलना में 6.90 प्रतिशत कम है। सारणी के अवलोकन से यह भी जानकारी मिलती है कि सभी चयनित जिलों में वर पक्ष के परिवारों की तुलना में वधू पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय कम है।

3.5.3 सारणी के अवलोकन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जोधपुर जिले में वर–वधू पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक है जिनमें वर पक्ष की 87,050 रूपये एवं वधू पक्ष के परिवारों की 78,450 रूपये औसत वार्षिक आय है जबकि अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम औसत वार्षिक आय चित्तौड़गढ़ जिले के वर–वधू पक्ष के परिवारों की है जिनमें 37,100 रूपये वर पक्ष के परिवारों की एवं 36,950 रूपये वधू पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय है जो दोनों ही पक्ष के परिवारों की लगभग समान ही औसत वार्षिक आय को दर्शाते है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित जिलों में वर–वधू पक्ष के परिवारों की आय लगभग समान स्तर पर है। इससे संकेत मिलता है कि वर–वधू पक्ष के दोनों ही परिवारों में लगभग अपनी बराबरी के आय समूह के परिवारों से ही रिश्तेदारी कायम कर अपने पुत्र–पुत्रियों का विवाह सामूहिक विवाह मण्डप में सम्पन्न करवाया है। विश्लेषण से यह भी जानकारी मिलती है कि चयनित जिलों में वर–वधू पक्ष के परिवारों की औसत वार्षिक आय एक लाख रूपये से भी कम है। अतः सामूहिक विवाह में गरीब, अत्यन्त गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों की ही भागीदारी रही है तथा धनाढ्य वर्ग सामूहिक विवाहों से दूरी बनाये हुए हैं।

3.5.4 अध्ययन हेतु चयनित 38 सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यकारियों से सामूहिक विवाहों में किस आय वर्ग के परिवारों की भागीदारी रही है कि जानकारी करने कर 42.11 प्रतिशत ने गरीब, 23.68 प्रतिशत ने मध्यम आय तथा 13.16 प्रतिशत ने धनाढ्य वर्ग के परिवारों की, शेष 21.05 प्रतिशत ने सभी आय वर्ग के परिवारों की भागीदारी से अवगत करवाया है।

3.6. उत्तरदाता वर–वधू का व्यवसाय :

3.6.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता जोड़ों से उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गयी व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी का विवरण निम्न मानचित्र में सारणी के रूप में दिया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता जोड़ों की संख्या	उत्तरदाता वर–वधू के व्यवसाय का विवरण									
			कृषि		मजदूरी		प्राईवेट नौकरी		व्यापार / सेवा		अन्य	
			वर	वधू	वर	वधू	वर	वधू	वर	वधू	वर	वधू
1.	कोटा	20	1	1	19	19	—	—	—	—	—	—
2.	चित्तौड़गढ़	20	—	—	18	—	—	—	2	—	—	—
3.	उदयपुर	20	—	—	2	—	4	—	12	—	2	—
4.	जोधपुर	20	1	—	19	—	—	—	—	—	—	—
	योग	**80**	**2**	**1**	**58**	**19**	**4**	**—**	**14**	**—**	**2**	**—**

3.6.1.1 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 80 वर उत्तरदाताओं में से 2(2.50 प्रतिशत) वर कृषि, 58(72.50 प्रतिशत) वर मजदूरी, 4(5.00 प्रतिशत) वर प्राईवेट नौकरी एवं 12(15.00 प्रतिशत) होटल, चाय का ठैला, सिलाई/टेलरिंग का कार्य, तेल का व्यवसाय करते हैं तथा 2(2.50 प्रतिशत) वर कोरियर सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। 2(2.50 प्रतिशत) वर अध्ययनरत है, जो कोई आर्थिक गतिविधियाँ नहीं करते हैं। सामूहिक विवाहों में विवाहित शत–प्रतिशत वर कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। अधिकांश वर उत्तरदाता का मुख्य व्यवसाय मजदूरी रहा है।

3.6.2 चयनित उत्तरदाता जोड़ों में 1(1.25 प्रतिशत) वधू कृषि कार्य में एवं 19(23.75 प्रतिशत) वधुऐं मजदूरी कर रही है जबकि 60(75.00 प्रतिशत) वधुऐं गृहणी हैं। अधिकांश वधुऐं अपने घर–परिवार की जिम्मेदारी सम्भाल रही है।

3.7 उत्तरदाता वर–वधू की वार्षिक आय :

3.7.1 अध्ययन हेतु व्यवसाय कर रहे उत्तरदाता जोड़ों से उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय से होने वाली अनुमानित वार्षिक आय के सम्बन्ध में जानकारी करने पर 20 प्रतिशत वर ने 20,000 रूपये प्रतिवर्ष, 36.25 प्रतिशत ने 21,000 से 30,000 रूपये, 25 प्रतिशत ने 31,000 से 40,000 रूपये तक एवं 11.25 प्रतिशत वर ने 41,001 से 50,000 रूपये, 3.75 प्रतिशत ने 51,001 से 60,000 तक तथा 1(1.25 प्रतिशत) ने 61,001 रूपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित करना अवगत करवाया है जबकि 2(2.50 प्रतिशत) वर द्वारा कोई व्यवसाय/धन्धा नहीं करने एवं अध्ययनरत होने के कारण कोई आय अर्जित नहीं करने की जानकारी दी है।

3.7.2 चयनित उत्तरदाता जोड़ों में 20 कार्यरत वधुओं में 4(5.00 प्रतिशत) वधुओं ने अपनी अनुमानित वार्षिक आय 3,000 रूपये तक 8(10.00 प्रतिशत) ने 6,000 से 7,000 रूपये तक एवं 6(7.50 प्रतिशत) ने 4,000 से 5000 रूपये तथा 2(2.50 प्रतिशत) ने 5,000 से 6,000 रूपये वार्षिक अनुमानित आय होना बतलाया है। अतः स्पष्ट है कि वधुओं द्वारा किये जा रहे व्यवसाय/मजदूरी नियमित नहीं है जिसके कारण उनकी कोई नियमित एवं निश्चित आय नहीं है।

3.8. सामूहिक विवाह सम्पन्न होने का वर्ष, कार्यक्रम की जानकारी एवं जोड़ों की व्यवस्था :

3.8.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता वर–वधुओं से उनका सामूहिक विवाह किस वर्ष में सम्पन्न हुआ कि जानकारी करने पर उन्होंने विभिन्न संदर्भ अवधि में अपना सामूहिक विवाह सम्पन्न होना अवगत करवाया है, जिनको निम्न तालिका में उपदर्शित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाताओं की संख्या	सम्पन्न विवाह का वर्ष		
			2003–04	2004–05	2005–06
1.	कोटा	20	–	7	13
2.	चित्तौड़गढ़	20	5	–	15
3.	उदयपुर	20	–	12	8
4.	जोधपुर	20	–	–	20
	योग	**80 (100.0)**	**5 (6.25)**	**19 (23.75)**	**56 (70.00)**

3.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 5(6.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना सामूहिक विवाह वर्ष 2003–04 में एवं 19(23.75) ने वर्ष 2004–05 में तथा 56(70.00 प्रतिशत) वर–वधू उत्तरदाताओं ने, वर्ष 2005–06 में अपना सामूहिक विवाह सम्पन्न होना अवगत करवाया है।

3.8.3 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं एवं उनके परिवारों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई की जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

सामूहिक विवाह की जानकारी के स्त्रोत

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाताओं की संख्या	जानकारी का माध्यम			
			स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं जातिगत समाज के कार्यकर्ताओं से	पोस्टर्स / पम्पलेट्स हैण्ड बिल्स आदि से	स्थानीय समाचार पत्रों से	व्यक्तिगत सम्पर्क करना
1.	कोटा	20	15	4	–	1
2.	चित्तौड़गढ़	20	15	2	3	–
3.	उदयपुर	20	15	3	1	1
4.	जोधपुर	20	14	3	3	–
	योग	**80 (100.0)**	**59 (73.75)**	**12 (15.00)**	**7 (8.75)**	**2 (2.50)**

3.8.3.1 उपरोक्त तालिका के विवरण से ज्ञात होता है कि 59(73.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने आयोजनकर्ता, स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं जातिगत समाज के सामाजिक कार्यकर्ता आदि से जानकारी मिलना बताया है तथा 12(15.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्रचार–प्रसार जिनमें पोस्टर्स, पम्पलेट्स एवं हैण्ड बिल्स आदि स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त होना बताया है एवं 7(8.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व 2(2.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं एवं जातिगत समाज से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करना बताया

है। हालांकि सामूहिक विवाह की जानकारी के अनेक स्त्रोत/माध्यम हैं किन्तु मुख्य स्त्रोत सामूहिक विवाह के आयोजनकर्ता/स्वैच्छिक संस्थाऐं एवं जातिगत समाज के सामाजिक कार्यकता ही हैं, जो अपने क्षेत्र के लोगों को सामूहिक विवाह के आयोजनों/कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं।

3.8.4 सामूहिक विवाह हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जोड़ों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, की जानकारी करने पर 97.37 प्रतिशत कार्यकारियों ने जातिगत समाज के कार्यकर्ताओं एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रचार–प्रसार, व्यक्तिगत जनसम्पर्क एवं समाचार पत्र, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, हैण्ड बिल्स आदि से व्यवस्था करना बताया है। जबकि 2.63 प्रतिशत कार्यकारियों ने जातिगत समाज की पंचायत द्वारा युवक–युवतियों का सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जोड़ों की व्यवस्था स्वतः ही होने की जानकारी से अवगत करवाया है।

3.9. आवेदन पत्र एवं विवाह की समयावधि :

3.9.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में उत्तरदाताओं से उनके सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने हेतु उन्होंने किन संस्थाओं को आवेदन पत्र दिया है, की जानकारी करने पर शत–प्रतिशत सभी उत्तरदाताओं ने चयनित जिलों में कार्यरत पंजीकृत संस्थाओं को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है तथा सामूहिक विवाह पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही सम्पन्न करवाया गया है।

3.9.2 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से सामूहिक विवाह के कितने दिन पूर्व स्वैच्छिक संस्थाओं को आवेदन किया एवं उसके कितने समय बाद संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित जिलों के चयनित उत्तरदाताओं ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं सामूहिक विवाह सम्पन्न होने की जो समयावधि बताई है उसका संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

आवेदन पत्र एवं विवाह की समयावधि का अन्तर

अवधि	सामूहिक विवाह हेतु आवेदित उत्तरदाताओं की संख्या	आवेदन के पश्चात् सामूहिक विवाह में सम्मिलित उत्तरदाताओं की संख्या
एक माह से कम	74	40
एक माह से अधिक एवं दो माह से कम	6	38
दो माह एवं उससे अधिक	–	2
उत्तरदाताओं की संख्या	**80**	**80**

3.9.3 उपरोक्त विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित 80 उत्तरदाताओं में से 74 उत्तरदाताओं ने अपने सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को एक माह से कम की अवधि में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये एवं उनमें से 40 उत्तरदाताओं का सामूहिक विवाह एक माह से कम की अवधि में ही सम्पन्न करवाकर उन्हें दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया गया तथा शेष 34 उत्तरदाताओं का एक माह से अधिक की अवधि उपरान्त विवाह सम्पन्न करवाया गया।

3.9.4 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से, उन्होंने/उनके परिवार ने सामूहिक विवाह समारोह में ही विवाह करवाना क्यों पसन्द किया? सम्बन्धी जानकारी करने पर शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निम्न कारण बतलाये हैं :–

(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण पृथक से विवाह करने में असमर्थ होना।
(ii) परिवार द्वारा पृथक से शादी करने पर अनेक मदों पर विपुल व्यय करने पड़ते हैं जबकि सामूहिक विवाह एक ही स्थान/पाडांल पर होने से अनावश्यक व्ययों से बचत हो जाती है।
(iii) अनावश्यक भाग दौड़ एवं परेशानी से बचने के लिए।
(iv) जातिगत समाज द्वारा सामूहिक विवाह का निर्णय लेने से सामूहिक विवाह करवाया है।
(v) अधिक उम्र हो जाने के कारण वर–वधू नहीं मिलने से सामूहिक विवाह को अंगीकार किया गया।
(vi) गरीब एवं अमीर का भेद एवं उनकी सोच एवं विचारधारा में बदलाव लाने के लिए।

3.10 सामूहिक विवाह के अवसर पर वर–वधू पक्ष द्वारा व्यय राशि :

3.10.1 अध्ययन के दौरान सामूहिक विवाह से पूर्व एवं सामूहिक विवाह के दौरान उत्तरदाताओं के परिवार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई तथा विवाह के अवसर पर उनके परिवार द्वारा पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य राशि व्यय की गई या नहीं, की जानकारी करने पर चयनित जिलों के सभी चयनित शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवेदन पत्रों के साथ चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं को पंजीयन शुल्क की राशि जमा करवाना तथा अपने सामूहिक विवाह के अवसर पर सामर्थ्य अनुसार अतिरिक्त राशि व्यय किया जाना अवगत करवाया है। परिवार द्वारा पंजीयन एवं अन्य मद पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न मानचित्र में दिया जा रहा है।

पंजीयन शुल्क एवं व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता की संख्या	चयनित संस्थाओं को जमा करवाई गई पंजीयन शुल्क की राशि (हजार रूपयों में)				उत्तरदाताओं के परिवार द्वारा सामूहिक विवाह के अवसर पर व्यय की गई अनुमानित राशि (हजार रूपये में)						
			5000 से 10,000	11,001 से 15,000	15,001 से 20,000	20,001 से 25,000	10,000 तक	10,001 से 15,000	15,001 से 20,000	20,001 से 25,000	25,001 से 30,000	30,001 से 35,000	35,001 से 60,000 तक
1.	कोटा	20	—	10	10	—	—	10	10	—	—	—	—
2.	चित्तौड़गढ़	20	20	—	—	—	12	8	—	—	—	—	—
3.	उदयपुर	20	—	2	15	3	3	7	5	2	1	2	—
4.	जोधपुर	20	—	—	20	—	—	4	4	8	2	1	1
उत्तरदाताओं की संख्या		80	20 (25.00)	12 (15.00)	45 (56.75)	3 (3.75)	15 (18.75)	29 (26.25)	19 (23.75)	10 (12.50)	3 (3.75)	3 (3.75)	1 (1.25)

3.10.2 उपरोक्त पंजीयन शुल्क के विवरण सम्बन्धी तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह हेतु पंजीयन शुल्क की राशि पृथक–पृथक निर्धारित की हुई है जो 5,000 रूपये से 25,000 रूपये तक है। चयनित जिलों में चयनित 80 उत्तरदाताओं में से 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सबसे कम 5,000 रूपये से 10,000 रूपये तक की पंजीयन शुल्क की राशि सामूहिक विवाह के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं को जमा करवाई गई है जबकि उदयपुर जिले के 3.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सबसे अधिक 20,001 से 25,000 रूपये तक की पंजीयन शुल्क राशि संस्थाओं को जमा करवाई है। 15,001 से 20,000 रूपये तक का पंजीयन शुल्क जमा कराने वाले 56.25 प्रतिशत उत्तरदाता है जबकि 15.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 11,001 से 15,000 रूपये तक की राशि का पंजीयन शुल्क स्वैच्छिक संस्थाओं को जमा करवाना अवगत करवाया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि समान नहीं है एवं इस राशि का निर्धारण सामूहिक विवाह पर विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्यय के अनुमानों पर आधारित होता है। अध्ययन के दौरान चयनित उत्तरदाताओं ने यह भी अवगत करवाया कि कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वर पक्ष की तुलना में वधू पक्ष का दुगना पंजीयन शुल्क निर्धारित किया हुआ है जिसका कारण वधू को दिये जाने वाले दहेज एवं घरेलू सामान पर होने वाले व्ययों की पूर्ति करना बतलाया गया।

3.10.3 उत्तरदाताओं के सामूहिक विवाह के अवसर पर उनके परिवार द्वारा पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त व्यय की गई राशि की तालिका को देखने से जानकारी मिलती है कि 15(18.75 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवारों ने 10,000 रूपये तक की सबसे कम राशि सामूहिक विवाह के अवसर पर व्यय की है एवं 29(36.25 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवारों ने 11,001 से 15,000 रूपये तक की राशि, 19 (23.75 प्रतिशत) ने 15,001 से 20,000

रूपये तक की राशि 10(12.50 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवारों ने 20,001 से 25,000 रूपये तक की राशि तथा 7.50 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 25,001 से 35,000 रूपये तक की राशि व्यय की है जबकि 1(1.25 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवार ने अधिकतम 60,000 रूपये की अनुमानित राशि सामूहिक विवाह के अवसर पर व्यय की गई है।

3.10.4 चयनित उत्तरदाताओं से उनके सामूहिक विवाह के अवसर पर पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त व्यय की गयी राशि उनके परिवार के मुखिया द्वारा व्यय की गयी अथवा संस्था में जमा करवायी गयी सम्बन्धी जानकारी करने पर
50(62.50 प्रतिशत) उत्तरदाताअें ने अपने परिवार के मुखिया द्वारा तथा 30 (37.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने संस्थाओं को जमा करवाना अवगत करवाया है। जिन उत्तरदाताओं ने परिवार के मुखिया द्वारा राशि व्यय किया जाना बताया है, उन्होंने व्यय की गई राशि को निम्न मदों पर व्यय किये जाने की जानकारी दी है :–

(i) विवाह के समय घर पर आये रिश्तेदारों/मेहमानों के भोजन/नाश्ता एवं उनके ठहरने की व्यवस्था पर।

(ii) बहिन–बेटियों एवं अन्य निकटतम रिश्तेदारों की विदाई एवं रस्मी तौर पर कपड़े एवं एवं नगद जुहारी पर।

(iii) परिवार के सदस्यों के लिए नये कपड़े खरीदने एवं आभूषण बनवाने पर।

(iv) विभिन्न रस्म रिवाजों को पूरा करने हेतु – बिन्दोरी/निकासी एवं अन्य रस्मों पर व्यय।

(v) विवाहोत्तर प्रीतिभोज एवं अन्य व्यवस्थाओं पर।

3.10.5 उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तरदाता वर/वधू के घर/परिवार में विवाह के अवसर पर विवाह की विभिन्न रस्मो–रिवाजों को पूरा करने एवं मेहमानों/रिश्तेदारों के आगमन पर उनकी मेहमानवाजी आदि मदों पर किये जाने वाले व्यय सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ही है। जिन उत्तरदाताओं ने पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त राशि संस्थाओं को जमा करवाना बताया है इससे यह संकेत मिलता है कि उन उत्तरदाताओं के परिवार के मुखिया विवाह की समस्त जिम्मेदारी से मुक्त होकर संस्था स्तर से व्यवस्था करवाई गई है।

3.11. सामूहिक विवाह में जनसहभागिता :

3.11.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित जिलों के उत्तरदाता जोड़ों से उनके सामूहिक विवाह के दौरान उन्हें उनके परिवार के अतिरिक्त अन्य दानदाताओं/समाजसेवियों तथा संस्थाओं द्वारा कोई आर्थिक सहायता/सामग्री उपलब्ध करवाने या नहीं करवाने सम्बन्धी जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	सहायता राशि/सामग्री प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या			
			संस्थाओं से		दानदाताओं/समाजसेवियों से	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	कोटा		20	–	15	5
2.	चित्तौड़गढ़	20	20	–	14	6
3.	उदयपुर	20	20	–	–	20
4.	जोधपुर	20	20	–	–	20
	योग	80 (100.0)	80 (100.0)	–	29 (36.25)	51 (63.75)

3.11.2 उपरोक्त विवरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों के शत–प्रतिशत उत्तरदाता जोड़ों ने उनके सामूहिक विवाह के दौरान सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने वाली संस्थाओं से आर्थिक सहायता/सामग्री प्राप्त करना बताया है।

3.11.3 उक्त 80 चयनित उत्तरदाताओं में से 29(36.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने दानदाताओं/समाजसेवियों से आर्थिक सहायता/सामग्री प्राप्त होना अवगत करवाया है एवं 51(63.75 प्रतिशत) ने कोई सहायता/सामग्री प्राप्त नहीं करना बताया है , जिन 29 उत्तरदाताओं ने दानदाताओं से सहायता राशि/सामग्री प्राप्त करना बताया है, उनमें चयनित जिला कोटा के 15 उत्तरदाता एवं चित्तौड़गढ़ के 14 उत्तरदाता है तथा उदयपुर एवं जोधपुर जिले में दानदाताओं द्वारा कोई सहायता राशि/सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित जिला कोटा के 15 एवं चित्तौड़गढ़ जिले के 14 उत्तरदाताओं ने संस्थाओं एवं दानदाताओं दोनों से ही आर्थिक सहायता/सामग्री प्राप्त की है। इस प्रकार अधिकतर सहायता राशि/सामग्री उपलब्ध करवाने में संस्थाऐं ही अग्रणी रही है। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि सामूहिक विवाह जैसे पुनीत कार्य में राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य दानदाताओं, समाजसेवियों तथा कार्यरत संस्थाओं द्वारा इस पुनीत कार्य में पहल करते हुए नवदम्पत्ति/जोड़ों को अशीर्वाद के साथ–साथ खुले हाथों से सहायता राशि एवं उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए घरेलू सामग्री भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

3.11.4 चयनित जिलों के जिन उत्तरदाताओं ने अपने विवाह के दौरान संस्थाओं, दानदाताओं, समाजसेवियों से नगद राशि/सहायता सामग्री प्राप्त होना बताया, उनसे सहायता के स्वरूप के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त सहायता राशि का स्वरूप

क्र. सं.	चयनित जिला	सहायता राशि प्राप्तकर्ता उत्तरदाताओं की संख्या	सामूहिक विवाह के दौरान सहायता राशि/दहेज सामग्री का विवरण (अनुमानित मूल्य लाख रूपये में)				
			दहेज सामग्री	आभूषण	कपड़े	नगद	योग
1.	कोटा	20	0.35	0.45	0.20	1.50	2.50
2.	चित्तौड़गढ़	20	0.36	0.94	0.28	0.23	1.81
3.	उदयपुर	20	1.17	0.44	0.21	0.81	2.63
4.	जोधपुर	20	0.98	1.65	0.34	0.76	3.73
	योग	**80**	**2.86**	**3.48**	**1.03**	**3.30**	**10.67**

3.11.5 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि दान प्राप्तकर्ता लाभार्थी उत्तरदाताओं ने कुल 10.67 लाख रूपये के अनुमानित मूल्य की नगद/ अन्य सामग्री प्राप्त की है। सहायता के स्वरूपों में सबसे अधिक 3.48 लाख रूपये की अनुमानित मूल्य राशि के आभूषण एवं 3.30 लाख रूपये की नगद सहायता राशि एवं 2. 86 लाख रूपये की दहेज घरेलू सामग्री तथा 1.03 लाख रूपये मूल्य के कपड़े प्राप्त किये हैं। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं, दानदाताओं एवं समाजसेवियों ने सामूहिक विवाह के दौरान नव विवाहित युगल/जोड़ों को उनकी नई गृहस्थी को प्रारम्भ करने हेतु घरेलू आवश्यक वस्तुओं के साथ–साथ नगद राशि भी उपलब्ध करवाई है।

3.11.6 चयनित जिलों के कार्यकारियों से सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त होता या नहीं, की जानकारी करने पर 24(63.16 प्रतिशत) कार्यकारियों ने सहयोग प्राप्त होना तथा 14(36.84 प्रतिशत) ने विभिन्न वर्गों का सहयोग नहीं मिलना अवगत करवाया है।

3.11.7 जिन कार्यकारियों ने सामूहिक विवाहों में समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग दिया जाना बताया है, उनसे जानकारी करने पर कि किस प्रकार का सहयोग मिलता है। तत्सम्बन्ध में कार्यकारियों ने समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा निम्न प्रकार सहयोग दिया जाना बताया है :–

(i) विवाह में होने वाले खर्चों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहयोग–सहायता देकर।

(ii) नव विवाहित जोड़ों को घरेलू सामग्री जैसे– बर्तन, वस्त्र, आभूषण उपलब्ध करवाकर।

(iii) गुप्तदान द्वारा गरीब परिवार के जोड़ों का पंजीयन शुल्क एवं विवाह शुल्क देकर सहयोग करना।

(iv) सामूहिक विवाहों में राशि का अंशदान देकर विवाह आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देकर।

(v) समाज के विभिन्न वर्गों, युवा, प्रौढ़, वरिष्ठजनों द्वारा सामूहिक विवाह की व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न कमेटियाँ/भागीदारी निभाकर सामूहिक विवाहों को सफल बनाने में सहयोग देना।

3.12. अनुदान :

3.12.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से, उन्हें सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जानकारी है या नहीं, के बारे में जानकारी करने पर 73(91.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जानकारी होना तथा 7(8.75 प्रतिशत) ने जानकारी नहीं होना अवगत करवाया है।

3.12.2 कार्यकारियों से सामूहिक विवाह अनुदान कार्यक्रम की उन्हें जानकारी है या नहीं के बारे में पूछने पर 35(92.10 प्रतिशत) कार्यकारियों ने जानकारी होना तथा 3 (7.90 प्रतिशत) ने प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं होना करवाया है।

3.12.3 जिन 73 उत्तरदाताओं ने सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जानकारी होना बताया है, उनसे अनुदान के रूप में कितनी–कितनी राशि किस–किस प्रयोजन हेतु दिये जाने सम्बन्धी जानकारी करने पर 68(93.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 75 प्रतिशत(3,750 रूपये) अनुदान राशि वधू के पक्ष में स्त्रीधन हेतु तथा 25 प्रतिशत राशि संस्था को विवाह के आयोजन पर होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाना बताया है जबकि 1(1.37 प्रतिशत) उत्तरदाता ने 1000 रूपये प्रति जोड़ा केवल संस्था को ही दिया जाना बताया है अर्थात् इन उत्तरदाताओं को नये संशोधित नियमों की जानकारी नहीं है। शेष 4(5.48 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने दी जाने वाली अनुदान राशि के बारे में जानकारी नहीं होना अवगत करवाया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता सामूहिक विवाह अनुदान योजना कार्यक्रम के बारे में एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि एवं उसके प्रयोजन की जानकारी रखते हैं।

3.12.4 कार्यकारियों से राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह पर दी जाने वाली प्रति जोड़ा अनुदान राशि की जानकारी करने पर 35(92.10 प्रतिशत) कार्यकारियों ने प्रति जोड़ा 5,000 रूपये की अनुदान राशि दिया जाना बताया है जबकि 3(7.90 प्रतिशत) ने 1000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि दिया जाना अवगत करवाया है अर्थात् इन 3 कार्यकारियों को अनुदान संशोधित नियमों की जानकारी नहीं होना इंगित करता है।

3.12.5 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से स्त्रीधन की देय अनुदान राशि सावधि जमा हेतु स्वैच्छिक संस्था ने वधू के पक्ष में जमा करवाई या नहीं, की जानकारी करने पर 59(73.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन की सावधि जमा राशि उनके पक्ष में जमा करवाना बताया है जबकि शेष 21(26.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सामूहिक विवाह के दौरान केवल संस्थाओं को ही अनुदान राशि दी गयी थी। शेष 3 उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

3.12.6 जिन 59 उत्तरदाताओं ने संस्थाओं द्वारा स्त्रीधन की सावधि राशि उनके पक्ष में जमा करवाना बताया है, उनसे जमा की गई राशि की जानकारी करने पर 43(72.88 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 3,800 रूपये से 5,000 रूपये तक, 10(16.95 प्रतिशत) ने 10,000 रूपये तक तथा 6(10.17 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 11,000 से 15,000 रूपये तक की राशि संस्थाओं द्वारा उनके स्वयं के पक्ष में जमा करवाना अवगत करवाया है। इन उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया कि देय निर्धारित प्रति अनुदान राशि के अतिरिक्त संस्थाओं ने उपहार के तौर पर संस्था स्तर से राशि मिलाकर जमा करवाई है।

3.12.7 जिन 59 उत्तरदाताओं ने सावधि राशि उनके पक्ष में जमा करवाना बताया है उनसे जानकारी करने पर कि संस्थाओं ने यह राशि कितने वर्ष के लिए तथा कहाँ जमा करवाई है, तत्सम्बन्ध में उत्तरदाताओं द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	अनुदान प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या	लाभार्थी उत्तरदाताओं की संख्या (अवधि वर्षों में)			राशि जहाँ जमा करवाई गई	
			3 वर्ष	5 वर्ष	8 वर्ष 3 माह	बैंक में	पोस्ट आफिस में
1.	कोटा	10	10	–	–	–	10
2.	चित्तौड़गढ़	14	13	1	–	13	1
3.	उदयपुर	15	10	5	–	15	–
4.	जोधपुर	20	–	–	20	–	20
	योग	**59**	33 (55.93)	6 (10.17)	20 (33.90)	28 (47.46)	31 (52.54)

3.12.8 उपरोक्त सारणी के अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि कुल 59 अनुदान प्राप्त उत्तरदाताओं में से 55.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्त्रीधन की देय अनुदान राशि 3 वर्ष के लिए, 10.17 प्रतिशत ने 5 वर्ष की अवधि के लिए तथा 33.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 8 वर्ष 3 माह की अवधि के लिए उनके पक्ष में संस्थाओं द्वारा जमा करवाना अवगत करवाया है।

3.12.9 उक्त सारणी के अवलोकन से यह भी जानकारी मिलती है कि 47.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देय अनुदान राशि को बैंक में सावधि के रूप में जमा करवाना बताया है जबकि 52.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डाकघर में जमा करवाना अवगत करवाया है। स्त्रीधन की अनुदान राशि का विनियोजन बैंक में सावधि जमा तथा डाकघर से किसान विकास पत्र लेकर किया गया है।

3.12.10 अध्ययन हेतु अनुदान प्राप्त उत्तरदाताओं से उनकी जमा सावधि राशि उनके द्वारा प्राप्त की गई या नहीं, की जानकारी करने पर सभी 59 (शत–प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अभी जमा राशि प्राप्त करना नहीं बताया है, कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि सावधि जमा पत्र एवं किसान विकास पत्रों की राशि परिपक्वता की तिथि पर ही देय होती है।

3.12.11 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से यह राय चाही गई कि स्त्रीधन की 75 प्रतिशत अनुदान राशि विवाहित वधू को नगद दी जानी चाहिए अथवा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उसके पक्ष में बैंक/डाकघर में सावधि जमा करवानी चाहिए? तत्सम्बन्ध में चयनित 80 उत्तरदाताओं में से 52(65.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की राय है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बैंक/डाकघर में ही स्त्रीधन की सावधि राशि जमा करवाना ही उचित है अर्थात् वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखा जाना चाहिए एवं 22(27.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की राय में स्त्रीधन की निर्धारित 75 प्रतिशत राशि विवाह के दौरान वधू को नगद दी जानी चाहिए व शेष 6(7.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में स्त्रीधन की राशि को सावधि जमा के रूप में डाकघर/बैंक में ही उसके पक्ष में जमा करवाना उचित मानते हैं।

3.12.12 जिन 22 उत्तरदाताओं ने स्त्रीधन की देय अनुदान राशि नगद दिये जाने की अनुशंषा की है उनसे इसके औचित्य की जानकारी करने पर उन्होंने इसके समर्थन में निम्न कारण बतायें हैं :–

(i) सामूहिक विवाहों के अधिकांश जोड़े बहुत गरीब होते हैं, अतः उन्हें सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं को अपनी देय पंजीकरण राशि/सामूहिक विवाह अंशदान राशि का भुगतान करने में सहायता मिलेगी।

(ii) नव दम्पत्ति/जोड़े को अपनी नई गृहस्थी प्रारम्भ करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। अतः यह राशि उन्हें नगद मिल जाती है तो उन्हें गृहस्थी प्रारम्भ करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

(iii) विवाह के दौरान अनेक खर्चे होते हैं। अतः उस समय इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।

3.13 अनुदान राशि की पर्याप्तता :

3.13.1 अध्ययन हेतु क्षेत्र कार्य के दौरान चयनित उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र के कार्यकारियों एवं कार्यरत संस्थाओं से राज्य सरकार द्वारा देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि पर्याप्त है या नहीं, यदि अपर्याप्त है तो प्रति जोड़ा कितनी अनुदान राशि होनी चाहिए ? सम्बन्धी जानकारी करने पर उनसे व्यक्तिशः साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा की गई जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

अनुदान राशि की पर्याप्तता सम्बन्धी जानकारी

उत्तरदाताओं की श्रेणी	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	क्या राज्य सरकार द्वारा देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि पर्याप्त है?		
		पर्याप्त है	पर्याप्त नहीं है	प्रत्युत्तर नहीं दिया
सामूहिक विवाहों में लाभान्वित चयनित उत्तरदाता	80 (100.0)	9 (11.25)	69 (86.25)	2 (2.50)
कार्यकारी	30 (100.0)	4 (10.53)	32 (84.21)	2 (5.26)

3.13.2 उपरोक्त तालिका में उपदर्शित समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि :–

(i) सामूहिक विवाहों से लाभान्वित कुल 80 चयनित उत्तरदाताओं में से 69(86.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि को अपर्याप्त होना अवगत करवाया है एवं 9(11.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पर्याप्त होने की जानकारी दी है जबकि 2(2.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) क्षेत्र में कार्यरत चयनित 38 कार्यकारियों में से सर्वाधिक 32(84.21 प्रतिशत) कार्यकारियों ने देय जोड़ा अनुदान राशि अपर्यापत होने की जानकारी दी है एवं 4(10.25 प्रतिशत) ने वर्तमान देय जोड़ा राशि को पर्याप्त बताया है जबकि 2 (5.26 प्रतिशत) कार्यकारियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3.13.3 जिन 69 उत्तरदाताओं एवं 32 कार्यकारियों ने राज्य सरकार द्वारा देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि अपर्याप्त होना बताया है, उनसे इसके कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने निम्न कारणों से देय अनुदान राशि अपर्याप्त होना बताया है :–

(i) सामूहिक विवाहों में सम्मिलित अधिकांश जोड़े गरीब परिवारों से होते है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, देय प्रति जोड़ा 5,000 रूपये की राशि में से स्त्रीधन की राशि 3,750 रूपये ही है जो काफी अल्प है।

(ii) सामूहिक विवाह हेतु संस्थाओं को दी जाने वाली पंजीयन शुल्क/विवाह शुल्क की राशि काफी बड़ी होती है, जो गरीब परिवारों के लिए काफी भारी होती है जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि की तुलना में काफी कम है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा अनुदान की सीमा निर्धारित की हुई है जो अधिकतम 20 जोड़ों के लिए 1,00,000 रूपये की राशि है। इस राशि में से स्त्रीधन एवं संस्था का अनुपात क्रमशः 75 : 25 है। योजनान्तर्गत देय राशि बढ़तीय हुई कीमतों एवं मुद्रा स्फिति को देखते हुए बहुत कम है।

(iv) सामूहिक विवाहों के अवसर पर संस्थाओं को अनेक मदों पर व्यय करना पड़ता है जिनमें टेन्ट, लाईट, भोजन, दहेज, वस्त्र, आभूषण एवं विवाह स्थल का किराया आदि है, जो काफी महंगे होते है, फलस्वरूप सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाऐं विवाहों पर होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए जोड़ों से ली जाने वाली पंजीयन/विवाह शुल्क राशि में बढ़ोतरी कर देते हैं जिसका भार अन्त में जोड़ों/उनके परिवारों पर ही पड़ता है।

3.13.4 उपरोक्त समग्र निष्कर्ष एवं कारणों से स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 5,000/– रूपये की देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि अपर्याप्त है। अतः अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने हेतु योजना क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य सरकार को अनुशंषा की जानी चाहिए।

3.14. **प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि :**

3.14.1 जिन 69 उत्तरदाता जोड़ों एवं 32 कार्यकारियों ने वर्तमान में देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि को उपर्युक्त कारणों से अपर्याप्त होना बताया है, उनसे प्रति जोड़ा कितनी अनुदान राशि बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी करने पर उनसे प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया गया है :–

क्र. सं.	उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रति जोड़ा कितनी अनुदान राशि होनी चाहिए			
			10,000 रूपये प्रति जोड़ा	12,500 रूपये प्रति जोड़ा	15,000 रूपये प्रति जोड़ा	20,000 रूपये प्रति जोड़ा
1.	सामूहिक विवाह से लाभान्वित उत्तरदाता	69	43 (62.32)	14 (20.29)	11 (15.14)	1 (1.45)
2.	कार्यकारी	32	15 (46.87)	14 (43.75)	3 (9.38)	—

3.14.2 उपरोक्त तालिका में वर्णित जानकारी के अनुसार प्रति जोड़ा अनुदान राशि को अपर्याप्त बताने वाले 69 उत्तरदाताओं एवं 32 कार्यकारियों में से 43(62.32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं एवं 15(46.87 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 10,000 रूपये प्रति जोड़ा एवं 14(20.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं एवं 14(43.75 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 12,500 रूपये प्रति जोड़ा तथा 11(15.94 प्रतिशत) उत्तरदाताओं एवं 3(9.38 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 15,000 रूपये तक प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि करने हेतु अपनी राय व्यक्त की है जबकि अपवाद स्वरूप 1(1.45 प्रतिशत) उत्तरदाता ने प्रति जोड़ा 20,000 रूपये तक अनुदान राशि बढ़ाये जाने हेतु अवगत करवाया है।

3.14.3 तत्सम्बन्ध में अध्ययन हेतु चयनित की गई 11 स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रति जोड़ा अनुदान राशि बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी करने पर 9(81.82 प्रतिशत) संस्थाओं ने 10,000 रूपये प्रति जोड़ा एवं 1(9.09 प्रतिशत) ने 15,000 रूपये प्रति जोड़ा तथा 1 (9.09 प्रतिशत) ने 20,000 रूपये प्रति जोड़ा राशि बढ़ाये जाने की जानकारी दी है।

3.14.4 उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं ने 5,000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि के स्थान पर 10,000 रूपये प्रति जोड़ा तक वृद्धि किया जाना बतलाया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 से पूर्व केवल संस्थाओं को ही 1,000 रूपये प्रति जोड़ा आयोजन पेटे के पुनर्भरण हेतु दिये जाते थे। स्त्रीधन के लिए अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगस्त,2004 में अनुदान राशि 1,000 रूपये के स्थान पर 5,000 रूपये की गई जिसमें 3,750 रूपये स्त्रीधन एवं 1250 रूपये संस्थाओं को आयोजन पेटे हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया किन्तु बढ़ती महंगाई एवं मुद्रा स्फिति के कारण वर्तमान में देय अनुदान राशि काफी अल्प है जबकि आयोजन पेटे में अनेक मदों पर काफी व्यय करना पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि योजना को गति प्रदान करने हेतु 10,000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए जिसकी 50 प्रतिशत राशि स्त्रीधन के लिए एवं 50 प्रतिशत राशि संस्थाओं को सामूहिक विवाहों के आयोजन पेटे के पुनर्भरण हेतु दिये जाने चाहिए।

3.15. चयनित संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं मदवार व्यय राशि :

3.15.1 राज्य में सामूहिक विवाहों का आयोजन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाहों के आयोजन के पुनर्भरण हेतु प्रति जोड़ा निर्धारित 5,000 रूपये की देय अनुदान राशि में से 25 प्रतिशत (1250 रूपये) की अनुदान राशि संस्थाओं को एवं 75 प्रतिशत(3750 रूपये) की राशि स्त्रीधन के लिए विवाहित वधू के पक्ष में देय है। शेष राशि की व्यवस्था संस्थाओं द्वारा अपने निजी स्त्रोतों के साथ अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की जाती है। सामूहिक विवाहों के लिए संस्थाओं की आय के स्त्रोत क्या है एवं किन–किन स्त्रोतों से कितनी–कितनी आय प्राप्त होती है, आदि की जानकारी के लिए अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों में चयनित की गई 11 संस्थाओं से जानकारी करने पर संस्थाओं की सूचनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :–

संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित संस्थाओं की संख्या	वर्ष	विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि (राशि लाख रूपये में)				
				पंजीयन शुल्क/ विवाह सहयोग राशि	जन सहयोग/ दानदाताओं से	अन्य स्त्रोतों से	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	योग
1.	कोटा	2	2003–04	11.52	–	–	–	11.52
			2004–05	15.48	0.50	–	0.28	16.26
			2005–06	18.14	0.25	–	1.50	19.89
2.	चित्तौड़गढ़	4	2003–04	–	1.00	–	0.50	1.50
			2004–05	–	–	–	–	–
			2005–06	2.47	4.05	–	2.70	9.22
3.	उदयपुर	3	2003–04	10.77	8.15	0.16	0.86	19.94
			2004–05	11.20	5.94	0.26	2.00	19.40
			2005–06	22.75	2.73	0.37	2.37	28.22
4.	जोधपुर	2	2003–04	6.69	2.35	0.78	–	9.82
			2004–05	2.56	2.05	1.17	0.21	5.99
			2005–06	12.86	5.75	0.46	–	19.07
	योग	**11**		**114.44 (71.16)**	**32.77 (20.37)**	**3.20 (1.99)**	**10.42 (6.48)**	**160.83 (100.00)**

3.15.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि चयनित संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु विभिन्न स्त्रोतों से संदर्भित वर्षों में कुल 160.83 लाख रूपये की राशि प्राप्त की गई। इस कुल प्राप्त की गई राशि में सर्वाधिक 111.44 (71.16 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि वर वधू पक्ष से पंजीयन शुल्क/विवाह सहयोग राशि के स्त्रोत से प्राप्त की गई है जबकि 32.77(20.37 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि जनसहयोग/जातिगत समाज एवं दानदाताओं से प्राप्त की गई है तथा 3.20(1.99 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि अन्य स्त्रोतों जिनमें गुप्तदान एवं संस्थाओं में निजी

स्त्रोतों से प्राप्त की गई है। 10.42(6.48 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि राज्य सरकार से आयोजन पेटे में अनुदान से प्राप्त हुई है। अतः स्पष्ट है कि संस्थाओं के विभिन्न स्त्रोतों में सबसे बड़ा स्त्रोत वर–वधू पक्ष से प्राप्त की जाने वाली विवाह पंजीयन शुल्क/विवाह सहयोग राशि का है।

3.15.3 विश्लेषण से यह जानकारी मिलती है कि अपवाद स्वरूप जोधपुर जिले में वर्ष 2004–05 के वित्तीय वर्ष में एक संस्था को छोड़कर शेष सभी चयनित जिलों की संस्थाओं द्वारा संदर्भित वर्षों में पंजीयन राशि में वृद्धि की जाती रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि संस्थाओं के स्त्रोतों में प्राप्त राशि कम पड़ने पर विवाहों के आयोजन हेतु महंगाई बढ़ने के साथ–साथ पंजीयन शुल्क/विवाह सहयोग राशि में वृद्धि की बाध्यता रही है।

3.15.4 चयनित जिला कोटा में स्थित संस्थाओं को संदर्भित वर्षों में जनसहयोग से 0. 75 लाख रूपये की राशि ही प्राप्त हुई है जबकि अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि शून्य है। अतः उक्त जिले में स्थित संस्थाओं को पंजीयन शुल्क एवं जनसहयोग के स्त्रोत से ही प्राप्तियाँ हुई है जबकि उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में स्थित संस्थाओं को संदर्भित वर्षों में लगातार जनसहयोग के अलावा अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्तियाँ हुई है।

संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाहों के अवसर पर व्यय राशि की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित संस्थाओं की संख्या	वर्ष	विभिन्न मदों पर व्यय राशि का विवरण (राशि लाख रूपये में)							
				दहेज/ घरेलू सामग्री	कपड़े	आभूषण	उपहार / नगद	प्रीतिभोज	आयोजन व्यवस्था	विविध	योग
1.	कोटा	2	2003–04	6.92	0.35	1.48	–	2.04	0.78	0.08	11.65
			2004–05	7.75	0.88	1.91	–	3.46	2.20	0.24	16.44
			2005–06	9.98	0.98	2.93	–	3.87	2.03	0.25	20.04
			योग	**24.65**	**2.21**	**6.32**	**–**	**9.37**	**5.01**	**0.51**	**48.13**
2.	चित्तौड़ गढ़	4	2003–04	0.40	–	0.10	–	0.80	0.20	–	1.50
			2004–05	–	–	–	–	–	–	–	–
			2005–06	5.25	0.28	0.42	–	1.43	0.62	2.15	10.15
			योग	**5.65**	**0.28**	**0.52**	**–**	**2.23**	**0.82**	**2.15**	**11.65**
3.	उदयपुर	3	2003–04	5.36	0.28	1.14	0.48	4.86	2.70	0.46	15.28
			2004–05	3.96	0.31	1.43	2.79	3.89	2.51	0.42	15.31
			2005–06	5.06	0.79	5.41	7.65	5.64	4.08	1.00	29.63
			योग	**14.38**	**1.38**	**7.98**	**10.92**	**14.39**	**9.29**	**1.88**	**60.22**
4.	जोधपुर	2	2003–04	0.28	–	–	–	4.48	2.12	0.34	7.22
			2004–05	0.05	–	–	–	3.09	1.16	0.22	4.52
			2005–06	2.13	0.70	3.38	–	6.13	3.55	3.38	19.27
			योग	**2.46**	**0.70**	**3.38**	**–**	**13.70**	**6.83**	**3.94**	**31.01**
	कुल योग	**11**		**47.14**	**4.57**	**18.20**	**10.92**	**39.69**	**21.95**	**8.54**	**151.01**

3.15.5 उक्त सारणी के अवलोकन से निम्न तथ्यों की जानकारी होती है :–

(i) चयनित जिला कोटा में स्थित संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाहों के अवसर पर वर–वधू को दिया गया दहेज/घरेलू सामान, कपड़े, आभूषण आदि मदों पर संदर्भित वर्षों में कुल व्यय राशि का 68.94 प्रतिशत राशि व्यय की गई है, उदयपुर में स्थित संस्थाओं ने उक्त मदों की योग राशि पर कुल व्यय राशि को 57.55 प्रतिशत राशि व्यय की गई है तथा चित्तौड़गढ़ स्थित संस्थाओं ने उक्त मदों पर कुल व्यय की 55.36 प्रतिशत राशि व्यय की है। जोधपुर स्थित संस्थाओं ने उक्त मदों पर सबसे कम 21.09 प्रतिशत राशि ही व्यय की है। इस जिले में वर्ष 2004–05 में तो इस मद पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि व्यय की गई है। अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों की संस्थाओं द्वारा दहेज, कपड़े, आभूषण, उपहार/नगद आदि मदों पर किये गये व्ययों की स्थिति को यदि समग्र दृष्टिकोण से देखा जावे तो इन मदों पर किया गया औसतन कुल व्यय का 56.37 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक विवाहों के अवसर पर संस्थाओं द्वारा वर–वधू को दिये जाने वाले दहेज, कपडे, सामग्री, उपहार/नगद, आभूषण आदि मदों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत के लगभग व्यय करती है।

(ii) सामूहिक विवाह के अवसर पर वर–वधू पक्ष के परिवारों, मेहमानों एवं आगन्तुकों की भोजन व्यवस्था/प्रीतिभोज मद पर किये व्ययों को देखने से ज्ञात होता है कि इस मद पर कुल व्यय राशि की 44.18 प्रतिशत राशि जोधपुर स्थित संस्थाओं द्वारा व्यय की गई है एवं उदयपुर स्थित संस्थाओं ने अपनी कुल व्यय राशि की 23.90 प्रतिशत राशि व्यय की है तथा कोटा स्थित संस्थाओं ने अपनी कुल व्यय राशि की 19.47 प्रतिशत राशि व्यय की है जबकि चित्तौड़गढ़ स्थित संस्थाओं द्वारा सबसे कम 19.14 प्रतिश राशि व्यय की गई है। समग्र रूप से इस मद पर चारों जिलों में औसतन कुल व्यय का 26.28 प्रतिशत व्यय किया गया है।

(iii) सामूहिक विवाहों में टेन्ट, लाईट, डेकोरेशन, घोडी, बैण्ड बाजे एवं अन्य आयोजन व्यवस्था सम्बन्धी मदों पर चयनित जिला जोधपुर स्थित संस्थाओं द्वारा संदर्भित वर्षों में अपनी कुल व्यय राशि का 22.03 प्रतिशत व्यय किया गया है, उदयपुर जिले में इस मद पर 15.43 प्रतिशत राशि व्यय की गई है, कोटा स्थित संस्थाओं द्वारा अपनी कुल व्यय राशि में 10.41 प्रतिशत राशि व्यय की गई है जबकि चित्तौड़गढ़ स्थित संस्थाओं ने सबसे कम 7.04 प्रतिशत राशि इस मद पर व्यय की है। चयनित जिलों में समग्र व्यय की गई औसतन कुल व्यय का 14.54 प्रतिशत व्यय किया गया है।

(iv) अन्य विविध मदों पर व्यय की गई राशि को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों में इस मद पर कुल व्यय औसतन व्यय राशि का 5.65 प्रतिशत राशि व्यय की गई है।

3.16. सामूहिक विवाह कार्यक्रम की उपयोगिता :

3.16.1 क्षेत्र कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से यह जानकारी चाही गई कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी रहे हैं या नहीं एवं यदि उपयोगी रहे हैं तो कैसे? तत्सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओं ने जो जानकारी दी है उसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तर दाताओं की संख्या	क्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी रहे हैं?		यदि, हाँ तो कैसे ? (विवरण)				
			हाँ	नही	भाग दौड़ में कमी एवं वर की तलाश में सुविधा	अनावश्यक फिजूल खर्चों में कमी	वर वधू को परस्पर समझने का अवसर मिलना	इच्छित वर के चयन में सुविधा	अन्य विवाह सुविधा पूर्वक हो गया
1.	कोटा	20	20	–	–	20	–	–	1
2.	चित्तौड़गढ़	20	20	–	–	20	20	–	–
3.	उदयपुर	20	20	–	14	20	3	–	–
4.	जोधपुर	20	20	–	5	20	–	–	–
	योग	**80**	**80**	**–**	**19**	**80**	**23**	**–**	**1**

3.16.2 उपरोक्त विवरण के अनुसार चयनित 80 उत्तरदाताओं में से सभी (शत–प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए अवगत करवाया है कि विवाह के दौरान होने वाली फिजूल खर्चों में कमी के अतिरिक्त एक ही स्थान, पाण्डाल में कई जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह करने से अनावश्यक व्ययों पर रोक लगी है। अतः सामूहिक विवाह योजना कमजोर वर्ग के लिए अति उपयोगी होना अभिलिखित किया गया है।

3.16.3 चयनित संस्थाओं से यह पूछा गया कि यह कार्यक्रम कमजोर वर्ग के लिए किस प्रकार उपयोगी है तो इन संस्थाओं ने अपने प्रत्युत्तर में कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्न प्रतिक्रिया व्यक्त की है :–

(i) कमजोर/गरीब वर्ग को अनावश्यक व्ययों एवं विभिन्न की जाने वाली व्यवस्थाओं से छुटकारा मिलने के साथ समय की बचत होती है।

(ii) सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम यदि प्रारम्भ नहीं होता तो गरीब परिवार को अपने लड़के–लड़कियों के विवाह गरीबी के कारण बहुत कठिन हो जाता।

(iii) समाज के विभिन्न रीति–रिवाजों एवं संस्कृति के अनुसार मितव्ययता पर विवाह सम्पन्न हो जाते हैं।

(iv) सम्मान के साथ समान स्तर पर सामूहिक विवाह होने से गरीब वर्ग हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता है।

(v) यह कार्यक्रम गरीब वर्ग को दहेज एवं बाल विवाह से मुक्ति दिलाकर उन्हें राहत प्रदान करता है।

(vi) वर–वधू के चयन एवं परस्पर समझ में सुविधा मिली है।

3.16.4 अतः उपरोक्त समग्र मूल्यांकन परिवेश को देखते हुए कहा जा सकता है कि सामूहिक विवाह योजना बहुत उपयोगी है। इस योजना के कारण वर–वधू पक्ष के परिवारों की भाग दौड़ में कमी के साथ–साथ विवाह समारोहों एवं दहेज प्रथा एवं अनावश्यक व्ययों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही एक ही पाण्डाल में सामूहिक विवाह होने से गरीब वर्ग में होने वाली कुंठा एवं हीन भावना से भी मुक्ति मिली है तथा उनके पुत्र–पुत्रियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से हो जाता है।

3.17 सामूहिक विवाह अनुदान योजना कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव :

3.17.1 अध्ययन किये गये चयनित जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के अध्ययन हेतु प्राप्त प्रारम्भिक एवं प्रलेखीय सूचनाओं, सामूहिक विवाहों से लाभान्वित चयनित जोड़ा/दम्पत्तियों एवं चयनित की गई स्वैच्छिक संस्थाओं तथा चयनित जिलों के सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं से व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनसे प्राप्त सूचनाओं, जानकारी एवं प्रतिक्रियाओं के साथ ही क्षेत्र कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा किये गये अवलोकन के आधार पर सामूहिक विवाह अनुदान योजना कार्यक्रम में आ रही कठिनाइयों के साथ इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न सुझाव दिये जा रहे है :–

(i) **अभिलेखों का संधारण, रख–रखाव, मॉनिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्था –**
राज्य में योजना कार्यक्रम का संचालन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि मुख्यालय स्तर पर विभाग द्वारा योजना कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं का संकलन नहीं किया गया है। कार्यकारी विभाग के पास कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति सम्बन्धी सूचनाऐं उपलब्ध ही नहीं है एवं जो सूचनाऐं उपलब्ध है उनमें भी परस्पर विरोधाभास है। अभिलेखों को सही ढंग से संधारण नहीं किया गया

है। राज्य स्तर एवं जिला स्तरीय सूचनाओं में भी परस्पर विरोधाभास है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर पर मुख्यालय एवं जिला स्तर पर समन्वय का अभाव है। योजना कार्यक्रम की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है जिसके फलस्वरूप योजना को गति नहीं मिल पाती है। इससे योजना के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सुझाव दिया जाता है कि –

(क) राज्य स्तर पर योजना कार्यक्रम के अभिलेखों का वर्षवार एवं जिलेवार संधारण किया जावे एवं सूचना तंत्र को प्रभावी तथा परिष्कृत कर योजना की अद्योतन सूचनाऐं तैयार की जानी चाहिए ताकि योजना की वास्तविक प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ख) राज्य स्तर पर मुख्यालय एवं जिला स्तर पर परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी नियन्त्रण किया जाना चाहिए।

(ग) योजना कार्यक्रम की समय–समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम में आ रही कठिनाइयों को समय रहते उन्हें दूर किया जा सके।

(ii) **प्रावधान/आवंटित राशि का उपयोग –**

योजनान्तर्गत कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। क्षेत्र कार्य के दौरान पाया कि संदर्भित वर्षों में चयनित जिलों को आवंटित/प्रावधान राशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है एवं चयनित जिलों में आवंटित राशि का औसतन पचास प्रतिशत से भी कम राशि का ही उपयोग किया गया है। कुछ जिलों में आवंटित सम्पूर्ण राशि ही शेष रह गई तो कई जिलों में पर्याप्त प्रावधान राशि की व्यवस्था ही नहीं की गई तथा कुछ में राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया जिसके फलस्वरूप योजना को गति नहीं मिल पाई। अतः योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं :–

(अ) योजना कार्यक्रम का इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(ब) सामाजिक जागृति/रूझान को बढ़ावा देने के लिए जातिगत पंचों/संस्थाओं/ संगठनों को सामूहिक विवाहों के उद्देश्यों एवं लाभों से जागरूक किया जाना चाहिए।

(स) अपंजीकृत संस्थाओं को पंजीकरण करवाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने हेतु अधिक संख्या में संस्थाऐं जुड़ सके।

(द) जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जिलों में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उनकी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए एवं समय–समय पर उनके साथ बैठकें आयोजित की जावे।

(य) राज्य स्तर पर मुख्यालय द्वारा जिलों को योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति यथा समय जारी कर उन्हें राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(र) जोड़ों के आयु प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ ही प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iii) **प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि –**

क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा देय प्रति जोड़ा अनुदान राशि अपर्याप्त है, कारण कि सामूहिक विवाहों में सम्मिलित होने वाले अधिकतर जोड़े गरीब परिवारों से होते है एवं इन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सामूहिक विवाह हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली पंजीयन राशि भी उनके लिए काफी भारी होती है, इसके साथ ही समय–समय पर संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु विवाह पंजीयन शुल्क में वृद्धि की जाती है जिसका भार भी अन्त में वर–वधू पक्ष के परिवारों को ही वहन करना पड़ता है। दूसरी ओर पिछले वर्षों में मुद्रा स्फीति एवं महंगाई में वृद्धि होने के कारण विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि हुई है। अतः संस्थाओं को भी अल्प अनुदान राशि से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में देय 5000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि के स्थान पर 10,000 रूपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि में वृद्धि करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा इस राशि का अनुपात 50 : 50 प्रतिशत किया जावे।

(iv) **अधिकतम संख्या सम्बन्धी शर्त –**

सामूहिक विवाह अनुदान नियमों की शर्तों के अनुसार सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली स्वैच्छिक पंजीकृत संस्थाओं को न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर देय अनुदान राशि में से 25 प्रतिशत अनुदान राशि ही प्राप्त होती है। क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि संस्थाओं द्वारा 20 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर उन्हें नियमों में प्रतिबन्ध होने के कारण अनुदान राशि नहीं मिलती है जबकि उन्हें सामूहिक विवाहों पर होने वाले व्ययों पर अधिक व्यय करना पड़ता है, दूसरी ओर इन संस्थाओं के समक्ष यह भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि 20 से अधिक जोड़ों के विवाह करवाने पर किन जोड़ों को अनुदान राशि से लाभान्वित किया जावे एवं किन को नहीं? अतः ऐसी स्थिति में संस्थाओं के समक्ष असमंजस की स्थिति

उत्पन्न हो जाती है, साथ ही 20 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाने पर उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। अतः योजना को गति प्रदान करने हेतु नियमों में अधिकतम 20 जोड़ों तक अनुदान राशि दिये जाने सम्बन्धी शर्त को विलोपित कर सामूहिक विवाहों में सम्मिलित सभी जोड़ों को स्त्रीधन की राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) **प्रावधान राशि की समय पर उपलब्धता –**
क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि योजनान्तर्गत जिला स्तर पर योजना क्रियान्वित कार्यालयों में समय पर बजट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है एवं राशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में या उसके बाद उपलब्ध करवायी जाती है जिसके कारण देय अनुदान राशि का समय पर भुगतान नहीं होता है एवं संस्थओं को कठिनाई होती है। अतः विभाग द्वारा जिलों को समय पर राशि की स्वीकृति जारी कर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(vi) **अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जावे –**
अध्ययन के दौरान देखा गया कि योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु नियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है एवं न ही संदर्भित वर्षों में चयनित जिलों में कोई अन्तर्जातीय विवाह ही सम्पन्न हुआ है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण विभाग) द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु विवाहित युगल को 50,000/– रूपये तक की अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बतायी गई है जिसमें 25,000/– नगद एवं 25,000/– रूपये के बचत पत्र, प्रमाण–पत्र के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अतः इसी अनुरूप उच्च जाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के युवक–युवतियों द्वारा परस्पर अन्तर्जातीय विवाह करने पर उन्हें समाज कल्याण विभाग की तर्ज पर बतौर अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

(vii) स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने लेखों का सनदी लेखाकार से नियमित अंकेक्षण करवाया जाना चाहिए।

(viii) **अन्य –** अध्ययन के दौरान स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा अध्ययल दल के समक्ष कुछ सुझाव रखे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अनुदान राशि सामूहिक विवाह से पूर्व दी जानी चाहिए ताकि संस्थाओं को सामूहिक विवाह के अवसर पर होने वाले व्ययों की पूति समय पर की जा सके तथा स्त्रीधन की राशि विवाह के पश्चात् जमा करवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए इस हेतु संस्थाओं से अण्डरटेकिंग ले ली जावे।

2. सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस स्तर से अपेक्षित सहयोग दिलवाया जाना चाहिए ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके।

3. पानी, बिजली एवं सामूहिक विवाह स्थल की व्यवस्था में प्रशासनिक सहयोग दिलवाया जाना चाहिए। साथ ही विवाह स्थल पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

4. सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं को 50 से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न करवाने पर उन्हें पृथक से 50,000 रूपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जानी चाहिए।

5. सम्भागीय/जिला स्तर के मुख्यालयों पर सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु सरकारी परिसर/स्थान का किराया न्यूनतम (सांकेतिक) या निःशुल्क किया जाना चाहिए।

6. अनुदान प्रक्रिया सरल बनायी जानी चाहिए एवं स्त्रीधन की 75 प्रतिशत राशि के स्थान पर 50 प्रतिशत स्त्रीधन के लिए दी जानी चाहिए तथा 50 प्रतिशत राशि संस्थाओं को दी जानी चाहिए।

7. एल.पी.जी. की व्यवस्था को सरल एवं सस्ती दर पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

8. सामूहिक विवाह हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की निर्धारित 15 दिन पूर्व की अवधि के स्थान पर विवाह के 3 दिन पूर्व तक आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रावधान संशोधित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रस्तावित अनुशंषाओं की क्रियान्विति हेतु कार्यकारी विभाग द्वारा सुझावों के परीक्षण उपरान्त उनकी क्रियान्विति संदर्भ में सुसंगठित कार्य योजना बनाकर अनुवर्ती कार्यवाही त्वरितता से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.18 निष्कर्ष :

3.18.1 सामूहिक विवाह अनुदान योजना कार्यक्रम निःसंदेह सामूहिक आदर्श व्यवस्था है, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग को विवाह समारोहों पर होने वाली फिजूल खर्चों, दहेज एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए होने वाली भाग दौड़ से छुटकारा दिलाया है तो दूसरी ओर वर–वधू के चयन एवं उन्हें परस्पर समझने का अवसर भी प्रदान किया है तथा समाज में विभिन्न रीति–रिवाजों, आडम्बरों से भी मुक्ति दिलाई है। अधिकांश सामूहिक विवाह अभी कुछ जातिगत समाज/जातिगत पंचायतों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा ही सम्पन्न करवाये जा रहे हैं। उच्च एवं धनाढ्य वर्ग सामूहिक विवाहों से अभी दूरी बनाये हुए हैं। सामूहिक विवाहों से बाल विवाहों की रोकथाम हुई है एवं जातिगत समाज के विभिन्न वर्गों में इसके प्रति चिन्तन प्रारम्भ हुआ है।

इस कार्यक्रम को निरन्तरता की आवश्यकता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं एवं स्त्रीधन के रूप में देय अनुदान राशि में वृद्धि करने के साथ–साथ योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी/कार्यालय को योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत कर उन्हें समय पर उपलब्ध करवाने, योजना के लेखों का व्यवस्थित रूप से संधारण कर सूचना तन्त्र को सुदृढ करने, समन्वय स्थापित करने एवं योजना की समय–समय पर मॉनिटरिंग करने, अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के साथ ही संस्थाओं की सामूहिक विवाहों में होने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनका समाधान करने की है। इसके अतिरिक्त योजना कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में जागृति एवं योजना की जानकारी हेतु प्रचार–प्रसार के साथ अनुदान नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

———

परिशिष्ट–I

राज्य में सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जिलेवार वित्तीय प्रगति (वर्ष 2003–04 से 2005–06)

क्र. सं.	जिले का नाम	वित्तीय प्रगति (लाख रूपये में)					
		2003–04		2004–05		2005–06	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	अजमेर	+	0.40	1.40	0.57	8.20	1.92
2.	अलवर	+	0.45	0.20	–	0.50	0.36
3.	बांसवाड़ा	+	0.14	–	–	2.00	–
4.	बून्दी	+	0.24	+	0.60	2.00	0.55
5.	हनुमानगढ़	+	0.24	0.85	–	2.25	1.60
6.	जोधपुर	+	0.54	+	2.52	7.00	–
7.	नागौर	+	–	–	–	4.80	1.53
8.	टोंक	+	0.50	+	0.23	2.00	0.48
9.	उदयपुर	+	0.64	2.50	0.78	8.00	3.48
10.	पाली	+	0.47	–	–	2.45	–
11.	भरतपुर	–	–	3.20	0.27	–	–
12.	चित्तौड़गढ़	–	–	1.00	–	7.00	5.41
13.	दौसा	–	–	0.20	0.27	2.00	–
14.	करौली	+	–	+	0.65	2.00	–
15.	गंगानगर	–	–	3.20	–	2.75	–
16.	डूँगरपुर	–	–	–	–	3.15	0.75
17.	जयपुर	+	–	+	1.31	8.50	1.12
18.	झालावाड़	–	–	–	–	9.40	–
19.	सिरोही	–	–	–	–	1.00	0.90
20.	बाड़मेर	–	0.55	–	–	–	–
21.	भीलवाड़ा	+	–	+	0.74	–	–
22.	कोटा	–	–	3.45	0.39	7.00	4.18
23.	स.माधोपुर	+	–	+	0.23	–	–
	योग		4.17	–	8.56	82.00	22.28

+ तात्पर्य पूर्व के वर्षों में बचत राशि में से उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट–II

राज्य में सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जिलेवार भौतिक प्रगति (वर्ष 2003–04 से 2005–06)

क्र. सं.	जिले का नाम	भौतिक प्रगति (जोड़ों की संख्या)					
		2003–04		2004–05		2005–06	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	निर्धारित नहीं है	40	निर्धारित नहीं है	13	निर्धारित नहीं है	39
2.	अलवर	"	45	"	–	"	8
3.	बांसवाड़ा	"	14	"	–	"	–
4.	बून्दी	"	24	"	12	"	11
5.	हनुमानगढ़	"	24	"	–	"	32
6.	जोधपुर	"	54	"	52	"	–
7.	नागौर	"	–	"	–	"	33
8.	टोंक	"	50	"	7	"	12
9.	उदयपुर	"	64	"	18	"	72
10.	पाली	"	47	"	–	"	
11.	भरतपुर	"	–	"	8	"	
12.	चित्तौड़गढ़	"	–	"	–	"	109
13.	दौसा	"	–	"	7	"	
14.	करौली	"	–	"	13	"	
15.	गंगानगर	"	–	"	–	"	
16.	डूँगरपुर	"	–	"	–	"	15
17.	जयपुर	"	–	"	27	"	24
18.	झालावाड़	"	–	"	–	"	–
19.	सिरोही	"	–	"	–	"	18
20.	बाड़मेर	"	55	"	–	"	–
21.	भीलवाड़ा	"	–	"	18	"	–
22.	कोटा	"	–	"	11	"	86
23.	स.माधोपुर	"	–	"	7	"	–
	योग		417		193		459

परिशिष्ट–III

चयनित जिलों में संस्थाओं को वर्षवार स्वीकृत देय अनुदान राशि का विवरण

(देय अनुदान राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	चयनित जिला	संस्था का नाम		वर्षवार सामूहिक विवाह आयोजना की संख्या, लाभान्वित जोड़े एवं अनुदान राशि का विवरण								
				2003–04			2004–05			2005–06		
				आयोजनों की संख्या	लाभान्वित जोड़ों की संख्या	देय अनुदान राशि	आयोजनों की संख्या	लाभान्वित जोड़ों की संख्या	देय अनुदान राशि	आयोजनों की संख्या	लाभान्वित जोड़ों की संख्या	देय अनुदान राशि
1.	कोटा	1.	नामदेव समाज हितेषी,कोटा	–	–	–	1	11	0.11	1	19	0.95
		2.	राजस्थान सैन समाज	–	–	–	1	28	0.28	1	28	1.00
		3.	फूलमाली महिला विकास समिति, रामपुरा, कोटा	–	–	–	–	–	–	1	69	0.50
		4.	गौड ब्राम्हण समाज समिति, कोटा	–	–	–	–	–	–	1	11	0.11
		5.	श्री महर्षि गौतम हितकारी समाज सेवा समिति, कोटा	–	–	–	–	–	–	1	16	0.80
		6.	अखिल हाडौती मेघवाल युवा समिति, कोटा	–	–	–	–	–	–	2	22 10	0.22 0.50
		7.	जमीलतुल राई विकास समिति, कोटा	–	–	–	–	–	–	1	12	0.60
		8.	जमीलतुल कैरेश विकास समिति, कोटा	–	–	–	–	–	–	1	54	0.50
2.	चित्तौड़गड़	1.	मैढ क्षत्रीय स्वर्णकार समाज, चित्तौडगढ़	1	50	0.50	–	–	–	–	–	–
		2.	विश्वकर्मा चैरीटेबल एण्ड एजूकेशन ट्रस्ट निम्बाहेडा	–	–	–	–	–	–	1	20	1.00
		3.	कुमावत सामाजिक संगठन रानीखेडा,(निम्बाहेडा) चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–	1	14	0.70
		4.	नूरी सुन्नी अंजुमन संस्थान, लौहारगली, चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–	1	20	1.00
		5.	मेवाडा कुमावत क्षत्रीय सामाजिक संगठन, निम्बाहेडा	–	–	–	–	–	–	1	20	1.00
		6.	अखिल भारतीय विजयवर्गीय मेवाड प्रदेश वैश्य महा सभा, रेलमगरा	–	–	–	–	–	–	1	13	0.65
		7.	प्रताप सेवा समिति प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–	1	15	0.75

3.	उदयपुर	1.	झूलेलाल सेवा समिति, उदयपुर	1	50	0.50	–	–	–	1	20	1.00
		2.	सक्का बिरादरी, उदयपुर	1	14	0.14	–	–	–	–	–	–
		3.	अम्बर विकास संस्थान, उदयपुर	–	–	–	1	28	0.28	–	–	–
		4.	मारू लुहार सिकलीगर समाज, उदयपुर	–	–	–	1	26	0.26	–	–	–
		5.	तम्बोली समाज, उदयपुर	–	–	–	1	14	0.14	–	–	–
		6.	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, ओगणा, उदयपुर	–	–	–	1	10	0.10	–	–	–
		7.	बाल्मिकी हरिजन समा, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	1	37	0.37
		8.	तैलिक साू समाज, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	3	36 20 20	0.36 1.00 1.00
		9.	श्रीमाली ब्राम्हण समाज, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	1	15	0.75
		10	साधू वासवानी संस्था, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	1	20	1.00
		11	छीपा समाज, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	1	16	0.80
		12	मैढ क्षत्रीय स्वर्णकार समाज, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	1	20	1.00
4.	जोधपुर	1.	बसेरा धोबी समाज, जोधपुर	1	16	0.16	–	–	–	–	–	–
		2.	कौम मेडती सिलावटान समिति, जोधपुर	1	19	–	–	–	0.19	–	–	–
		3.	कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर	1	21	–	–	–	0.21	–	–	–
		4.	मैढ़ क्षत्रीय स्वर्णकार विवाह समिति, जोधपुर	1	17	–	–	–	0.17	–	–	–
		5.	मुस्लिम जमाऊत नागौरी तेलियान समिति, जोधपुर	–	–	–	1	19	0.95	–	–	–
		6.	मारू लुहार सिकलीगर विकास समिति, जोधपुर	–	–	–	1	20	1.00	–	–	–
		7.	रावणा राजपूत युवा संस्थान, जोधपुर	–	–	–	–	–	–	1	41	0.00
	कुल योग	34		7	187	1.30	8	156	3.69	25	588	17.56

मूल्यांकन कार्य में सहभागी अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री एस.एन.गुप्ता	संयुक्त निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत	सहायक निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	अन्वेषण सहायक	मुख्यालय, जयपुर
4.	श्रीमती दुर्गेश सक्सैना	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्री रवि शंकर शर्मा	अन्वेषण सहायक	क्षे.मू.का. कोटा
6.	श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल	अन्वेषण सहायक	क्षे.मू.का.उदयपुर
7.	श्री अनिल कुमार मालोदिया	अन्वेषक	क्षे.मू.का.जोधपुर
8.	श्री मदन गोपाल गौड़	अन्वेषक	क्षे.मू.का.,भीलवाड़ा
9.	श्री कैलाश वर्मा	आशुलिपिक	मुख्यालय, जयपुर